राजस्थान विधान सभा

आठवीं बैठक, दिनांक २२ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३५ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं० ६४

(श्री धर्मपाल अनुपस्थित)

श्री टीकाराम पालीवाल:—Is it possible that when a Member is not present in the house, the questions to be asked by him may be asked by him when he comes in the House ?

श्री अध्यक्ष:—No. Once the name of a member is called, once a question is called and the Member concerned is not present in the House, the question is not taken up.

(प्रश्न नं० ६४, ६५ तथा ६६ के उत्तर प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में नहीं दिये गये और वे सदन की मेज पर रखे गये)

(कृपया देखिये परिशिष्ट १)

प्रश्न सं० ६७

श्री छोतरलाल डि० नं० ३०:—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

राजस्थान में मौजूदा जितने डिस्ट्रिक्टस हैं उनमें से बूंदी, झुंझुनू, टोंक आदि डिस्ट्रिक्टस को तोड़ा जा रहा है ? यह अगर सत्य है तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह सदन वर्तमान आर्थिक तंगी से भिज्ञ है; जिसके कारण प्रशासन पर किए जानेवाले व्यय में कमी करना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से भाग "अ" राज्यों तथा कुछ भाग "ब" राज्यों की तुलना में

राजस्थान में जिलों की संख्या भी अधिक है। इन सब कारणों से सरकार जिलों की संख्या में कमी करना आवश्यक समझती है। सरकार मामले की जांच कर रही है; परन्तु अभी तक किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच पायी है।

श्री छीतरलाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय इसके लिए निश्चित अवधि निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं, समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न सं० ६८

(१०९ एस.) श्री छीतरलाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

यह कि बूंदी जिले में ओफिशियेटिंग कलेक्टर साहब जो कि बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, क्या इन्हें ही कलेक्टर घोषित कर दिया है यदि नहीं तो मुस्तकिल कलेक्टर का प्रबन्ध शीघ्र ही किये जाने में क्या आपत्ति है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—बूंदी का वर्तमान कलेक्टर निस्सन्देह ओफिशियेटिंग कलेक्टर है। परन्तु उसके आफिशियेटिंग होने से उसके अधिकार और कर्तव्यों पर प्रभाव नहीं पड़ता। राजस्थान के कुछ अन्य जिलों में तथा भारत के अन्य राज्यों में भी आफिशियेटिंग कलेक्टर हैं। अतः बूंदी की अवस्था में कोई विचित्रता नहीं है। स्थायी कलेक्टर रखने का प्रश्न नौकरी की आवश्यकता का प्रश्न है और ओफिशियेटिंग कलेक्टर रखने की आवश्यकता इस बात से उत्पन्न होती है कि समय विशेष पर प्राप्य वास्तविक कलेक्टरों की संख्या जिन्हें नियुक्त किया जा सके पदों की कुल संख्या से कम है।

(श्री छीतरलाल खड़ रहे)

श्री अध्यक्ष:—After putting the question the Hon'ble Member should take his seat.

प्रश्न सं० ६९

(१११ एस.) श्री छीतरलाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

यह कि रिश्वत को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—राजस्थान निर्माण के पहले एक भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी की स्थापना की गई थी।

लिखित

श्री छीतरलाल:—क्या जो अमला निश्चित किया गया है उसके बाद भी उसमें कमी की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—अवश्य हुई है ।

एक सदस्य:—क्या सरकार ऐसा कोई लेजिस्लेशन बनायेगी जिसमें जिस किसी दफ्तर के खिलाफ जांच हो उसका प्रिजम्पशन और सपोर्ट करने का भार उस दफ्तर के अफसर के ऊपर रहेगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह न्याय के सिद्धान्त का मूलभूत प्रश्न है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता और कोई यह मानेगा भी नहीं ।

प्रश्न सं० ७०

श्री छीतरलाल:—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

यह कि चम्बल बांध की प्लान बहुत समय से सरकार के समक्ष है; इस विषय में क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—The idea of utilising the waters of the River Chambal, although it is the largest river flowing through Madhyabharat and Rajasthan, comprising one of the most backward areas in the country, escaped attention till 1943. Since then, various alternative schemes for utilising its waters, first mostly for Hydel power development, and then for irrigation-cum-power development, have been under investigation, by three different states till 1948, and thereafter by the present States of Madhyabharat and Rajasthan. These investigations have, in the past, been delayed by the different view points of each of the three States, but have now been unified and brought to virtual completion, visualising the production of an additional **4 Lacs Tons of Food Grains Annually** and **2,00,000 Killo Watt of Power** (at 60% Load Factor).

When the preparation of the FIVE YEAR PLAN was taken up by the CENTRAL PLANNING COMMISSION, the

two States pressed for the inclusion of these schemes in the first part of the PLAN itself. The sites of the various Dams and the Barrage and the area to be Irrigated were then visited by the Chairman and the Designs Member of the Central Water and Power Commission, and a comprehensive scheme based on the plans etc., prepared by the States' Engineers was drawn up by the above Comission and presented to the Central Planning Commission in August, 1951. The latter, thereupon asked the two States to submit a joint project Report on the whole scheme, supported by Revenue and Agricultural enquiries on the relevant aspects of the scheme.

This has now been done and the Project Report is under the consideration of the Government of India. Since this Scheme compares very favourably with other similar schemes included in the Five Year Plan and is the most important Project so far as development of Rajasthan is concerned all possible efforts have been made to get it included in the first list of the Five Year Plan and our request is receiving sympathetic and favourable consideration of the Government of India.

प्रश्न सं० ७१

(११५/एस.) श्री **छीतरलाल**:–क्या माननीय जुडिशियल मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

यह कि जुडिशियल को एग्जीक्यूटिव से शीघ्र ही अलग करने के लिये गत अधिवेशन में जो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास:–जुडिशियल से एग्जीक्यूटिव अलग करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस विषय में उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा सौराष्ट्र प्रान्तों की स्कीमें मंगवाई गई हैं जिनके आधार पर राजस्थान की स्थिति के अनुसार स्कीम पेश की जायगी, और इसके हेतु अदालतों से मुकद्दमात की संख्या एकत्रित की जा रही है। इसके अलावा इसी उद्देश्य से कुछ मुन्सिफों को मेजिस्ट्रेटी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–क्या यह सरकार ने निश्चय कर लिया है कि एग्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग कर दिया जावेगा अथवा निश्चय होना बाकी है?

श्री रामकिशोर व्यास:–सिद्धान्त, सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा करना सरकार ने निश्चय कर लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या सरकार ने अमुक समय तक निश्चय क लेने का कोई समय निश्चित किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–एक ही प्रिन्सिपल सब जगह लागू होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या कहीं जुडिशियल मामलों में एग्जिक्यूटिव दखल कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–जो पत्र पेश किया गया था क्या उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी बता सकेंगे . . .

श्री अध्यक्ष:–ओर्डर–ओर्डर। नेक्स्ट।

श्री जसवन्तसिंह:–मैं एक बात अर्ज करना चाहता हू। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इजाजत दी जायगी या नहीं यदि इजाजत दी जायगी तो मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष:–जरूर।

श्री जसवन्तसिंह:–धन्यवाद। रूल्स ओफ प्रोसिजर के धारा ३५ में यह लिखा है कि एक सदस्य एक दिन में छ: क्वेश्चन्स से अधिक नहीं रख सकेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक ही माननीय सदस्य के नाम ये प्रश्न जो रख दिये गये हैं; इसका कोई खास कारण है।

श्री अध्यक्ष:–आपकी यह आपत्ति दुरुस्त है। लेकिन दफ्तर में से जवाब आये उसकी एग्जेक्ट लिस्ट निकाल दी गई और फिर उसको डिटेक्ट किया गया। इसके सम्बन्ध में हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स जरूर हैं। मम्बर कन्सर्न्ड की ओर से जिन जिन प्रश्नों पर दफ्तर से जवाब आ गये थे उनको सहूलियत के लिहाज से रख दिया गया ह।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–इस वजह से बाकी प्रश्नों के उतर मिलने में समय की कमी रही तो क्या उन सदस्यों के साथ अनयय नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष:–समय की कमी से क्या प्रयोजन ह ?

श्री हरिकृष्ण व्यास:–एक घन्टा समाप्त होने के पश्चात् यदि वे प्रश्न बाकी रह जायं तो फिर उन प्रश्नों को लिया जाएगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष:–ओर्डर–ओर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० ७२

(११७/एस.) श्री छीतरलाल, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ३०:–क्या माननीय जुडिशियल मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

यह कि बूंदी जिले में नेनवा मुंसफी कोर्ट में मुंसिफ साहब का बहुत समय से प्रबंध क्यों नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–नैनवा (बूंदी) की अदालत में मुन्सफी में बहुत कम काम होने के कारण से हाई कोर्ट द्वारा कुछ महीनों से मुन्सफी को हटा दिया गया ह हालांकि अदालत कम स्टाफ सहित मौजूद है और इसका आशय यह है कि यदि मुकद्दमात की संख्या बढ़ जावेगी तो मुन्सिफ को लगा दिया जावेगा ।

श्री छीतरलाल:–इसके लिए क्या कोई निश्चित समय तय किया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास:–यह तो मुकद्दमात के ऊपर निर्भर है ।

श्री अध्यक्ष:–The Rules will come into operation then. Next.

प्रश्न सं० ७३

(११८/एस.) श्री छीतरलाल, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ३०:–क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दने का कष्ट करेंगे:–

यह कि बूंदी नगर के सरकारी होस्पिटल्स तथा औषधालयों में समय पर आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं उपलब्ध होतीं ?

श्री रामकिशोर व्यास:—सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। वहां से दर्याफ्त किया गया तो वहां से भी कोई कमी नहीं बतायी गई। इसके अलावा उनको यह अधिकार ह कि यदि दवाओं की कमी होजाये और खास दिक्कत हो और मुकामी तौर पर दवा खरीदने की जरूरत हो, तो खरीदी जा सकती है ।

श्री छीतरलाल:–दवाखाने और अस्पताल दोनों के लिए कमी है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–कोई कमी नहीं है ।

श्री छीतरलाल:–क्या सरकार को कमी के लिए कोई बात मालूम हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास:--नहीं । यदि बताया जायगा तो फिर उस सम्बन्ध में जवाब दे दिया जावेगा ।

प्रश्न सं० ७४

(१२०/एस.) **श्री छीतरलाल**, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ३०:–क्या माननीय वन विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि पहले के बने हुए संपूर्ण उपवनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जावे ? यदि नहीं तो बूंदी नगर के सुख–महल–पाल, इश्वरी फंड गार्डन आदि उपवन को जो बिलकुल नष्ट हुए जा रहे हैं, उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

श्री अमृतलाल यादव:–यह प्रश्न मुझ से पूछा गया है। मैं वनों का मन्त्री तो जरूर हूं, किन्तु उपवनों का नहीं।

श्री भोलानाथ:–सरकार की मंशा उपवनों को नष्ट करने की नहीं है। पिछले साल पानी की कठिनाइयां जरूर थीं। इस साल वैसी कठिनाइयां नहीं है। वहां इस साल अच्छी वर्षा होने से और बांध, तालाबों में पानी से सिंचाई को देखते हुए यह ठीक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष :–नेक्सट।

श्री छीतरलाल:–वहां पर क्या क्या अमला है ?

श्री भोलानाथ:–वहां पर आवश्यकतानुकूल अमला जरूर है। कुछ कमी जरूर की गई ह। खास योजना के साथ सब जगह कमी की गई है और वहां भी कमी की गई है।

प्रश्न सं० ७५

(१२१/एस.) **छीतरलाल**, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ३०:–क्या माननीय वन विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

यह कि बूंदी जिले के कृषकों को बोर्ड बनाने के लिए घुवालिया तथा कृषि के लिए आवश्यक लकड़ी समय पर एवं समीप के वन से उचित मूल्य पर क्यों नहीं दी जाती ?

श्री अमृतलाल यादव:–कृषकों के निजी उपयोग के लिए घुंवाली पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कृषकगण अपने खेतों की बाढ़ के लिए घुंवाली लाने के हकूकों का पूर्णतया उपयोग करते रहे हैं। अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए लकड़ो, फोर्मर राजस्थान द्वारा प्रचलित राजस्व पत्र १९४९ के अनुसार दी जाती है।

श्री छीतरलाल:–भूतपूर्व राजस्थान की जो आज्ञा बताई गई है क्या वह वर्तमान राजस्थान में भी लागू है ?

श्री अमृतलाल यादव:—राजस्थान फोरेस्ट बिल पास होने के बाद सारे राजस्थान पर लागू होगा और अभी तक फोर्मर राजस्थान में ही लागू है।

श्री छीतरलाल:—क्या इससे सुविधा मिल जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव :—बिल के लागू होने के बाद मिल जावेगी।

श्री रोशनलाल:—फिर बूंदी में कैसे लागू है ?

श्री अमृतलाल यादव:—बूंदी फोर्मर राजस्थान के अन्तर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० ७६

(१२२/एस.) श्री **छीतरलाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३०:—क्या माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में जनता को घास दिलाने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अमृतलाल यादव:—सामान्य वर्षों में घास की बीडें ठेकों पर देदी जाती हैं जिसके लिए घास की बिकरी के निरख पर पाबन्दी नहीं होती क्योंकि यह निरख स्वाभाविक बाजार भाव पर निर्धारित हो जाती है। जिन वर्षों में घास का अभाव रहता है उन वर्षों में जनता को वाजिब निरख पर घास उपलब्ध करने की कार्यवाही की जाती ह। वास्तव में यह कार्य रिलीफ प्रोग्राम का एक मुख्य अंग होता है।

राजस्थान से घास का निर्यात बन्द है।

श्री तेजमल बापना:—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कुछ ऐसे वन हैं जो इसके लिये रिजर्व रखे गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:—वन घास के लिए रिजर्व नहीं किये जाते हैं; घास की बीडें होती है। कुछ ऐसी जगह रखी जाती हैं जहां से तंगाई की हालत में बीडों से घास कलेक्ट किया जाता है और बाहर से भी मंगाया जाता है। तंगाई के लिए प्रिकॉशन्स लिये जा रहे हैं।

प्रश्न सं० ७७

श्री छीतरलाल:—क्या माननीय वन विभाग के मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

क्या बूंदी नगर जेल के बाग के हरे भरे पेड़ कटवाकर बाग को नष्ट करने

का अधिकार श्रीमान् कलेक्टर साहब बून्दी को दे दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अमृतलाल यादव:—अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का संबंध मुझसे नहीं है। यह दूसरे मंत्री महोदय से संबंधित है।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री):—बागात का महकमा मेरे पास है; लेकिन यह प्रश्न जेल के बाग से संबंधित है; इसलिये मेरे लिये इसका जवाब देना मुश्किल है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका उत्तर कौन से मंत्री देंगे?

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री):—मंत्री कंसर्न्ड (संबंधित मंत्री)।

श्री छीतरलाल:—संबंधित मंत्री किसको माना जाय?

श्री देवीसिंह:—क्या हम यह समझें कि यह प्रश्न किसी मंत्री महोदय से संबंध नहीं रखता है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह प्रश्न प्रोपरली (ठीक ढंग से) एड्रेसड् (संबोधित) नहीं था; इसलिये नोटिस की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष:—इट वाज़ सेन्ट टू दि गवर्नमेन्ट।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—यह प्रश्न दो अलग-अलग विभागों से ताल्लुक रखता है। एक तो जेल विभाग से और दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से। ऐसी अवस्था में कौनसे मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं; यह पूछने की मेरी भावना थी।

श्री टीकाराम पालीवाल:—जेल विभाग का इन्चार्ज मैं हूं, इसलिये इसका उत्तर मुझे देना चाहिये। लेकिन मेरे सामने यह प्रश्न नहीं आया क्योंकि प्रोपरली संबोधित नहीं था। इसलिये नोटिस की जरूरत है।

श्री छीतरलाल:—क्या आयन्दा इसके जवाब की आशा की जाय?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जरूर, यदि प्रोपरली एड्रेस किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Mr. Speaker, sir. I want to raise a point of order. If a question is refused to be answered for not being addressed properly and if the Leader of the House will direct us to address the question to the concerned Minister, I want to

ask you, sir, will it not be proper for the concerned Minister to give the answer and let the Government decide which Minister would give the answer to that question, of which we have not much knowledge and with which we are not quite conversant?

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आनेवाले सभी सदस्यों से आशा की जाती है कि जो प्रश्न वे पूछें उसे संबंधित मंत्री को प्रोपर्ली एड्रेस करें और यह माना जाना चाहिये कि इस सदन के सभी सदस्य इतना साधारण सा ज्ञान तो रखते ही होंगे कि कौनसा प्रश्न किस मंत्री को एड्रेस किया जाय। प्रश्न का जवाब देने के लिये किसी मंत्री को ठीक समय पर मालूम होना ही चाहिये कि फलां प्रश्न उनके विभाग से संबंधित ह।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न तो यह था कि जब एक ही प्रश्न दो विभागों से संबंध रखता ह तो यह तो मालूम होना चाहिये कि कौन इसका उत्तर देगा। सरकार को यह तो तय करना चाहिये कि इसका उत्तर कौनसे मंत्री देंगे और उन्हीं मंत्री के पास उस प्रश्न को भेजना चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल:—इस प्रश्न के बारे में दो मंत्रियों का प्रश्न है ही नहीं, यह सीधा जेल विभाग के मंत्री से संबंध रखता ह।

श्री अध्यक्ष:—रूल्स ओफ प्रोसीजर के रूल २८ के अनुसार यह जरूरी है कि प्रश्न संबंधित मंत्री को संबोधित होना चाहिये; लेकिन फिर भी कभी ऐसी गफलत हो जाती है तो हम ठीक करके सरकार के पास भेज देते हैं और वह प्रश्न स्वीकार होजाता है। उसमें अगर टेक्निकल गलती रह जाती है तो म समझता हूं सरकार का कर्तव्य होगा कि टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर उत्तर एवोइड नहीं करें।

श्री टीकाराम पालीवाल:—एवोइड करने का कोई प्रश्न नहीं है। नोटिस की जरूरत है।

प्रश्न संख्या ७८

श्री छीतरलाल:—क्या माननीय पब्लिक वर्क्स विभाग के मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

यह कि बूंदी जिले की कच्ची व पक्की सड़कों व डामर रोड की मरम्मत समय पर क्यों नहीं होती? और कच्ची सड़कों को पक्की बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री भोलानाथ:—अवश्य होती है। कच्ची सड़कों को पक्की बनाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है; सिर्फ रुपयों की कठिनाई है।

प्रश्न संख्या ७९

श्री छीतरलाल:--क्या माननीय पब्लिक वर्क्स विभाग मंत्री महोदय, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:-

बूंदी जिले में स्थित सरकारी इमारतों की आवश्यकतानुसार समय समय पर मरम्मत कराया जाना रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री भोलानाथ:-इसका उत्तर "ना" में है।

श्री छीतरलाल:--तमाम इमारतें बरबाद हो रही हैं; इनकी मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण ह?

श्री भोलानाथ:-ऐसी किसी खास इमारत का जिक्र आपने नहीं किया।

श्री छीतरलाल:-मेरा मतलब सरकारी इमारतों से है।

श्री भोलानाथ:-सभी सरकरी इमारतों के लिये सालाना बजट होता है और उसी के मुताबिक उनकी मरम्मत अवश्य होती है। आप यदि किसी खास इमारत का जिक्र करेंगे तो प्रोपर नोटिस मिलने पर कोशिश की जायगी।

प्रश्न संख्या ८०

श्री छीतरलाल:-क्या माननीय यातायात मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे।

क्या श्रीमान् यह जानते हैं कि मोनोपोली सिस्टम समाप्त हो चुका है? यदि हां तो बूंदी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की मोनोपोली अब तक क्यों चालू है ? इसे समाप्त करके अन्य व्यक्तियों को, जो चाहते हैं, गाड़ियें चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है?

श्री भोलानाथ:-मोनोपाली सिस्टम अब समाप्त हो चुका है। अब बूंदी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की मोनोपोली नहीं रही है। सिर्फ पुराने ओपरेटर होने के कारण कुछ गाडियें चलाने की इजाजत उन्हें अवश्य दी गई है। हाल ही में जो नये परमिट दिये गये हैं उनमें उक्त कम्पनी के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं।

श्री छीतरलाल:-ये परमिट कब दिये गये हैं।

श्री भोलानाथ:-कौनसे परमिट ?

श्री छीतरलाल:-आपने अभी फरमाया कि परमिट दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस को परमिट दिये गये हैं?

श्री भोलानाथ:—इसकी लिस्ट पहले आपने नहीं मांगी थी।

प्रश्न संख्या ८१

श्री छीतरलाल:-क्या माननीय यातायात मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र आदि बूंदी जिले से उदयपुर रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑथोरिटी के पास जनता भेजती है उनका तस्फिया शीघ्र ही क्यों नहीं होता ?

श्री भोलानाथ:—सब दरख्वास्तों का फैसला Motor Vehicle Act के मुताबिक जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाती है ?

प्रश्न संख्या ८२

श्री छीतरलाल:--क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

बजट प्रत्येक जिले में माह सितम्बर तक भी नहीं पहुंचे; यह उचित है यदि नहीं तो इसका शीघ्र प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—एब्स्ट्रेक्ट बजट सन् १९५२-५३ की कॉपियां विभिन्न विभागों के Heads के पास ७ अप्रेल, १९५२ को भेज दी गई थीं। डिटेल्ड बजट एस्टिमेट की कॉपियां सम्बन्धित विभागों को ३ जुलाई १९५२ और २१ अगस्त १९५२ के दरमियान भेज दी गई।

प्रश्न संख्या ८३

श्री छीतरलाल:--क्या माननीय कृषि मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि:—

बूंदी ज़िले के कृषकों को समय पर और आवश्यकतानुसार तकावी वितरण क्यों नहीं होसकी ?

श्री मोहनलल सुखाड़िया:—कृषि विभाग की तरफ से तकावी On loan (उधार) दी जाती है और इसके लिए नियम बने हुए हैं। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता, आवश्यकतानुसार दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ८४

श्री अध्यक्ष:—Next. Question No. 84.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Sir, before I proceed to ask my question, I seek a point of information. In Question No. 85 some portions have been erased after printing. Has the Hon'ble Speaker applied his **mind twice or is**............

श्री अध्यक्ष.— Order. This has been erased because this portion has been disallowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास.— My query is, Sir, has the Hon'ble Speaker applied **his mind twice** ?

श्री अध्यक्ष.—No. The hon'ble member should apply **his mind twice** ?

Shri H. K. Vyas.—Now I proceed to ask Question No. 84:

Will the **Minister-in-Charge for Irrigation** be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that the water release from the Main Canal to the Ganganagar canal has recently been increased ?

(*b*) Is the Government aware of the fact that despite the increase in the total water releases at the beginning end; the total area irrigated by the Canals has DECREASED ?

(*c*) Will the Government order an enquiry to find out the causes of such paradoxical situation ?

श्री भोगीलाल पन्ड्या:—(क) राजस्थान के गंगानगर केनाल हिस्से में अभी २ कोई पानी का बढ़ावा नहीं हुआ ह । (ख) सन् १९४९–५०, १९५०–५१ और १९५१–५२ में जो सिचा हुई है वह इस प्रकार है:—

सन् १९४९–५० में ५८४,४९२ एकड़
सन् १९५०–५१ में ६०४,१३३ एकड़
सन १९५१–५२ में ६१४,७२० एकड़

इससे मालूम होगा कि सिचाई का क्षेत्र बढ़ा ही है, घटा नहीं है ।

(ग) और इससे आखिरी प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या पानी देने की मात्रा २१ से बढ़ा कर २७ किलोट नहीं करदी गई है ?

श्री भोगीलाल पन्ड्या:—पानी मिलने के अनुसार मात्रा घटती-बढ़ती है ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु:—क्या यह समझा जाय कि बढ़ोतरी नहीं हुई ।

श्री भोगीलाल पन्ड्या:—अभी २ कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो उल्लेखनीय नहीं है।

प्रश्न संख्या ८५

श्री हरिकृष्ण व्यास:--Will the **Minister for Food** be pleased to answer.—

(*a*) What is the total foodgrains store at present with the Government ?

(*b*) What percentage of this has already gone bad, or is in the process of going bad ?

श्री भोगीलाल पन्ड्या:--The total estimated stock with the Government at present is 75,000 tons. Out of this stock about 40 tons is highly weevilled. The percentage is about ·05%. There is no likelihood of further deterioration. Government have arranged to obtain 20 tons Killopetra for fumigation and the same quantity of Gammaxine to adopt preventive measures.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—जिस जगह सरकार अनाज को छनवाने की व्यवस्था करती है वहां परसेंटेज क्या है ?

श्री भोगीलाल पन्ड्या:—इसके लिए समय चाहिए क्योंकि अलग २ जगह का अलग २ परसेन्टेज है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:--तो खराब होने का परसेन्टेज सरकार कैसे मालूम करती है ?

श्री भोगीलाल पन्ड्या:—हमारे एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) जाते हैं और जगह जगह के आंकड़े मालूम करते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या छानने के बाद बाकी का जो बच जाता है उसस अनाज के खराब होने का पता नहीं चलता।

श्री भोगीलाल पंड्या:—चलता है; पर आप अमुक जगह का पूछते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैं अमुक जगह का नहीं पूछता, राजस्थान के पूरे इलाके में क्या हुआ है, वह बतायें ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—आप चाहेंगे तो मैं टेबल पर रख दूंगा । पहले मैं इसका उत्तर दे चुका हूं आज मैं साथ में नहीं लाया हू ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष:—कह तो दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या मैं यह समझूं कि राजस्थान में केवल ४० टन अनाज छनाई में खराब हुआ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—हां।

प्रश्न संख्या ८६

श्री हरिकृष्ण व्यास:–Will the Minister for Food be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that out of the levy stored at the various godowns at Ganganagar about 50% has become waste?

(*b*) Will the Government institute an enquiry to find out how much food grain remains usable out of the total levy collected in 1951?

(*c*) Will the Government state as to what is the % loss if the grain from these 1951 Levy Storage Godowns is cleaned?

श्री भोगीलाल पंड्या:—It is not a fact that there is 50% wastage in Ganganagar. The total procurement by levy in Gangagar in the year 1951 was as under:—

Wheat	..	..	3,66,524 Mds.
Barley	..	..	87,630 Mds.
Gram	..	..	1,98,748 Mds.
		Total	6,52,902 Mds.

Almost all stock has been put to consumption. Out cf this grain the quantity mentioned below was found weevilled:—

	Weevilled up to 10%	Weevilled between 11 to 40%	Weevilled between 41 to 60%	Weevilled about 60%	Highly Weevilled
Wheat	57,125 Mds.	9,581 Mds.	—	—	—
Barley	6,108 Mds.	—	—	—	400 Mds.
Gram	—	—	—	—	—

Their results are not abnormal and are likely to be expected in every godown specially at the tail of the season. In view of the facts mentioned above, Government do not consider to hold any enquiry into the matter. Almost all the stock of this grain has been consumed, and as such, the question of estimated wastage in cleaning does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास:--आपने उत्तर में कहा कि ४० परसेंट अनाज ही खराब हुआ है। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या ४० परसेंट तक की खराबी सरकार की निगाह में बहुत ज्यादा खराबी नहीं है।

प्रश्न संख्या ८७

श्री एच० के० व्यास: –Will the Minister for Health be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that the A/c. office Rajasthan has recently issued a circular making the Registered Vaidyas' certificate as insufficient for obtaining leave on medical grounds?

(*b*) Is the Government aware of the hardship this Circular will cause to low paid Government Servants?

(*c*) Will the Government consider revising this order?

श्री रामकिशोर व्यास:–प्रश्न (ए) का उत्तर "हां" में है।

प्रश्न (बी) का उत्तर "हां" में है।

प्रश्न (सी) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री एच० के० व्यास:–सरकार कब तक इसका फैसला कर पाएगी।

श्री रामकिशोर व्यास:–आपकी जानकारी के लिये मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह सर्क्युलर राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं निकला है; बल्कि एकाउन्टेन्ट जनरल की तरफ से उनकी हिदायत मिली है। एकाउन्टेन्ट जनरल को सेन्टर से इस संबन्ध में हिदायत मिली। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री एच० के० व्यास:–यह सरक्युलर राजस्थान सरकार के लिये निकाला गया था या सेन्टर ने अपने मुलाजिमों के लिये निकाला था?

श्री रामकिशोर व्यास:–एकाउन्टेन्ट जनरल सेन्टर के आधीन है।

श्री एच० के० व्यास:–क्या सेन्टर ने जो एकाउन्टेन्ट जनरल को आदेश भेजा है उसमें राजस्थान के लिये भी ऐसा आदेश दिया था या सेन्टर ने सिर्फ अपने मुलाजिमों के लिये ही हुक्म जारी किया था?

श्री रामकिशोर व्यास:–सब के लिये ऐसा कर दिया गया है; इसीलिये इस मामले को टेक-अप (Take-up) किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ८८

श्री एच० के० व्यास: Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer:—

(*a*) Has the Government directed the Municipal Board, Jodhpur, to levy Octroi Duty, in addition to the existing Customs Duty ?

श्री रामकरण जोशी:—स्वायत्त शासन संस्थाओं की आमदनी को ठीक करने और रखने के लिये टैक्सों का प्रपोजल प्रकाशित किया जाता है और उसके बाद संबन्धित बोर्ड उसको बाई लॉज के रूप में प्रकाशित करता है और बाद में टैक्स लगाया जाता है। जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने भी इसी प्रकार किया था। उसके प्रपोजल फरवरी १९५१ में प्रकाशित हुए और बाई लॉज १९५२ में प्रकाशित हुए।

श्री एच० के० व्यास:—क्या यह सच है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा भेजा गया था ?

श्री रामकरण जोशी:—यह एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड का सदस्य था और यह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा भेजा गया। अतः सरकार तो यही समझेगी कि वह बोर्ड द्वारा भेजा गया।

श्री एच० के० व्यास:—क्या उसमें यह दर्ज था कि यह प्रस्ताव डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज के आदेशानुसार भेजा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष: This does not seek information. Next.

प्रश्न संख्या ८९

श्री एच. के. व्यास:—Will the **Minister for Labour** be pleased to answer.—

(*a*) Is it a fact that there is only one factory Inspector and one Labour Officer for the Jodhpur, Bikaner and Udaipur Divisions ?

(*b*) Is the Government aware that such a low level of staff makes the law a more or less dead letter ?

श्री रामकरण जोशी:—इस प्रश्न का जवाब तारीख ८ को ही दिया जा चुका है, फिर भी आपकी जानकारी के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर डिविजन के लिये एक इन्सपेक्टर और दो लेबर ऑफिसर हैं।

(बी) यह सोचना उचित नहीं कि एक ही लेबर ओफिसर हैं।

श्री एच. के. व्यास:-क्या वीकली होलिडेज एक्ट के मातहत जो कार्य होता है क्या वह कार्य भी इन मुलाजिमों को सौंप दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी:-नहीं।

श्री अध्यक्ष:—Members will kindly seek information and not give information.

श्री कपिलदेव:-यह प्रश्न तो पूछने दिया जाए।

श्री एच. के. व्यास:—I was only seeking information.

श्री अध्यक्ष:-No you were giving information.

श्री एच. के व्यास:—I was wanting confirmation.

श्री अध्यक्ष:—Order, Order, Next.

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-प्रश्न संख्या १०

श्री अध्यक्ष-There is another mistake. Only questions upto 8 were to be asked today. By a mistake the other questions have been pointed on his agenda.

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-जब इस लिस्ट ऑफ बिजनेस . . .

श्री अध्यक्ष:—I have no objection if the Minister is prepared to make reply.

एक सदस्य:—It is not mentioned in the agenda. The questions are on an entirely separate list.

श्री अध्यक्ष:-(श्री भोलानाथ की ओर संकेत करके) Are you prepared to make reply.

श्री भोलानाथ:—No.

अराजकीय--सदस्य विधान--कार्य

श्री अध्यक्ष:-Today is the day for private Members Legislative Business.

(विराम)

Shri Madhav Prasad N. Pandit.

(विराम)

It seems he is not here. Next.

(क) राजस्थान दहेज निवारक विधेयक, १९५२

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent and restraint dowry.

श्री अध्यक्ष:–Motion moved. The question is that leave be granted to introduce a Bill to prevent and restraint dowry.

(स्वीकृत)

श्री कपिलदेव:–I beg to introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष:–नेक्सट। श्री गोपीलाल यादव ।

राजस्थान पशु तथा पक्षी बलिदान समाप्ति विधेयक, १९५२

श्री गोपीलाल यादव:–I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prohibition of Animal and Bird sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise.

श्री अध्यक्ष:–What is this; "Prohibition" or "abolition"

श्री गोपीलाल यादव:–"Prohibition" Sir.

श्री अध्यक्ष:-Motion moved. The question is that leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of Animal and Bird sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise.

(स्वीकृत)

श्री गोपीलाल यादव:–I introduce the Bill.

संकल्प (रिजोल्युशन्स)

श्री अध्यक्ष:– रजोल्युशन्स । श्री गोपीलाल यादव ।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव हाउस के समक्ष पेश करता हूं:–

"This House is of the opinion that the holdings of all those tenants who were in possession of evacuee lands during

Smt. 2008 and who have been ejected and whose holdings were not given to displaced persons not yet settled, be restored to them immediately and a report containing full data regarding such tenants be placed before the House; and that the Tenants Protection Ordinance be now made applicable to these tenants also."

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में यह जानना चाहूंगा कि मुझे इस पर बोलने के लिए कितना समय मिलेगा ताकि उसके अन्दर में अपनी बातें हाउस के समक्ष रख सकूं।

श्री अध्यक्ष:–How much time you want reasonably ?

श्री गोपीलाल यादव:–I think I shall finish within 20 minntes.

श्री अध्यक्ष:–Then I allow you.

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के अन्दर जून सन १९४९ में टिनेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनंस लागू किया गया, लेकिन उसके २ माह बाद ही राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक और विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें यह कहा गया कि यह टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेंस भरतपुर और अलवर जिलों में उन जमीनों पर लागू नहीं होगा जो कि सरकारी हैं, जो इवेक्युई यानी भागे हुए मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई हैं। उससे पहले मत्स्य गवर्नमेंट यह तय कर चुकी थी कि उन किसानों को जिनके पास पहले जमीनें थीं और बहुत पहले से उन्हें जोतते आ रहे हैं उनको उनसे बेदखल नहीं किया जायगा, लेकिन जब यह विज्ञप्ति निकल गई तो उसके बाद किसानों की बेदखलियां शुरू हुईं और इवेक्युइ लेंड में हर साल किसान की बेदखलियां होने लगीं। पहले साल के जो जोता थे दूसरे साल उनसे जमीन छीनकर दूसरे को देदीं ततपश्चात् उनसे लेकर तीसरे को दे दीं। यह चीज करीब करीब संवत् २००७ तक चलती रही। २००७ में राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिसमें सेन्टर के भी एक दो प्रतिनिधि सम्मिलित थे, एक कमीशन बैठाया, यह निर्णय करने के लिये कि हमको इन जमीनों का फाइनल रिसेटलमेंट किस ढंग से करना है, किनके पास जमीनें रहने देना है तथा किनके पास नहीं। वह कमीशन जगह जगह घूमा और उसने गवाहियां लीं, और अन्तमें एक नीति निर्धारित की गई। उस नीति की मुख्य बातें यह थीं:–

"(१) संवत् २००३ म जो टिनेन्ट्स थे यानी जो कि मुसलमानों के भागने से पहले उन जमीनों के काश्तकार थे उनको बदस्तूर पुनः स्थापित कर दिया जायगा।

(२) दूसरी चीज उसमें यह थी कि जो जमीनें शरणार्थियों के पास में नहीं हैं वे एक खास नीति के मुताबिक किसानों को एलाट कर दी जायगी, और वह नीति ज्यादातर यह थी कि जिस गांव में वह जमीन थी उसी गांव के भूमिहीन किसानों को वह सबसे पहले दी जायगी, उसके बाद उन लोगों को दी जायगी जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, लेकिन वह भूमिहीन ही है।

(३) जिनके पास जमीन मुकर्रर की गई वह ३० बीघा थी; इससे ज्यादा नहीं।"

इस तरह से कुछ नियम बनाकर रीसेटलमेंट किया गया। रीसेटलमेंट के लिए हजारों अफसरान मुकर्रर किये गये। हर तहसील में एक एक रीसेटलमेंट नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि बहुत से आदमी काम करते थे और रीसेटलमेंट हो गया।

रीसेटलमेंट होने के बाद हर एक आदमी ने यह समझा कि कम से कम हर साल की मुसीबत जो किसानों को उठानी पड़ती थी और लाखों रुपयों की रिश्वत जो हर साल किसानों से ली जाती थी वह कम से कम हमेशा के लिए बंद हो गई। अध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ यह चीज कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक एक गांव व एक-एक किसान के आंकड़े मौजूद हैं कि कितनी रिश्वत किस तरह से ली गई। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ३ रु० बीघा और ५ रु० बीघा तक इस जमीन के एलॉटमेंट में रिश्वत दी जाती रही। लेकिन जो कुछ हुआ वह हो गया। यह पिछले साल तय हो गया कि यह रीसेटलमेंट फाइनल होगया, लेकिन फाइनल होने के बाद फिर यह देखने में आया कि इस साल कुछ लोगों ने, न मालूम किस तरह से यह कार्यवाही की और कर्रवाई कि भरतपुर और अलवर जिलों में हर तहसील में एक एक एलाटमेंट कमेटी इस साल ऐसी कायम कर दी जब कि उसकी जरूरत नहीं थी। उन कमटियों में दो-दो या तीन-तीन वहां के लोकल कांग्रेसी व्यक्तियों को, जिनका कि किसानों से कोई संबंध नहीं था, और जो कि कानून से वाकिफ नहीं थे, उनको रख दिया। उन्होंने जो कार्य, जो अन्याय, जो अत्याचार इन ३-४ महीनों में किये मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में २००-३०० वर्षों मे कभी नहीं हुए। उनके अत्याचारों के सामने औरंगजेब और नादिरशाह भी शर्म से डूबे हुए हैं। उन्होंने यह किया कि २-३ आदमी बैठते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि किन लोगों ने हमारा साथ दिया, किन लोगों ने हमे वोट दिये और कौन ऐसे आदमी हैं जो हमें पैसा देने को तैयार हैं। यह चीज लेकर गांव-गांव में लोगों से भूमि छीनकर दूसरों को देदी, बगैर किसी नियम के, बगैर किसी कानून के। हजारों आदमियों को जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में अपनी खड़ी

फसलों से बेदखल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब राजस्थान टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डीनेंस लागू नहीं हुआ था उस वक्त बेदखली के कुछ नियम थे और उन नियमों में यह था कि अगर किसी को बेदखल करना है तो उस किसान को जिसने पहले साल काश्त की है उसे सितम्बर के महीने में दो माह का नोटिस दिया जायगा कि तुमको बेदखल किया जा जा रहा है; अगर तुम्हें कोई ऐतराज हो तो २ माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करो। अगर वह किसान कोई अपना ऐतराज २ माह के अन्दर पेश कर देता है और वह ऐतराज उसका स्वीकार किया जाता है तो वह बेदखल नहीं होता है। और अगर कोई ऐतराज उस २ माह के अन्दर पेश नहीं करता तो उसका ऐतराज स्वीकृत नहीं किया जाता और उसको बेदखली की आज्ञा हो जाती थी। लेकिन वह बेदखली इस प्रकार मई और जून से पहले नहीं होती थी। किन्तु अब तो यह होता है कि मैंने सेप्टेम्बर महीने के ऑर्डर्स देखे हैं। सेप्टेम्बर महीने की ६ तारीख को एक आर्डर होता है कि फलां किसानों से जमीनें लेकर फलां किसानों को दे दी जायं और अगर फसलें खड़ी हों तो खड़ी फसलें भी दे दी जायं। अगस्त के महीने और जुलाई के महीने के ऑर्डर्स से हजारों किसान इस तरह से बेदखल किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष, मुझे हाउस के सामने जो चीज रखनी है वह यह है कि हम यहां इन चीजों को देखने के लिए बैठे हुए हैं कि राजस्थान के अन्दर एक इन्साफी हुकूमत कायम हो; हम जहां भी बेइन्साफी को देखें, उसको रोकें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों ने घर में बैठकर यह नियम बनाया कि अलवर के अन्दर जिस आदमी के पास १६ बीघा से ज्यादा जमीन है उससे हम जमीन छीन लें; हालांकि अलवर में पिछले साल रीसेटलमेंट हो चुका और अब अगर नये नियम बन सकते हैं और जिन जिलों के लिए यह नियम बनाया गया है वहां के लोगों को अपने प्रोप्राइटी राइट्स से महरूम किया गया है जिसका कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है। अगर पिछले साल के नियमों में कोई हेरफेर करना ही था तो उसे हाउस के सामने रखना चाहिये था और उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए थी।

दूसरे, भरतपुर में ३० बीघा का नियम लागू किया गया और अलवर में १६ बीघे का नियम लागू है और साथ ही साथ वहां १००० और २००० बीघे का नियम भी लागू है। पिछली दफा भी मैंने कहा था कि कई आदमियों को तो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें दी गई हैं कि उनमें एक-एक लाख के पेड़ मौजूद हैं। जब मैंने यह कहा कि यह चीज चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस

में है तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। मैं अभी यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस बेन्चेज के मि० मुक्तिलाल मोदी ने उस चीज को देखा और वे हर एक मिनिस्टर से मिले और उस चीज को रोकने के लिए वे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, चीफ मिनिस्टर से भी मिले। वे मुझसे भी मिले, उस चीज को रुकवाने के खातिर। जहां तक मुझे पता चला कि कुछ ऑर्डर्स उन्होंने उसे स्टोप कराने के जारी कराये, चाहे वह चीफ मिनिस्टर महोदय के यहां से कराये या और कहीं से; इसका मुझे पता नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दौड़ धूप के बाद वे ओर्डर्स कराये। इस तरह एक तरफ तो वह किसान हैं जिनके पास ५ बीघा भी जमीन नहीं हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी प्रोपरटी दी गई हैं। एक तरफ तो जो ५ बीघा जमीन उनके पास है वह भी उनसे छीन ली जाती है और दूसरी तरफ जिन किसानों के पास १५-२० बीघा जमीन है उनको वह ५ बीघा जमीन दे दी जाती है। साथ ही, वहां पर यह हो रहा है कि १०-१० बीघे वाले किसानों से जमीने छीनी जा रही हैं। एक तरफ गांव गांव में मुसलमान मेव आये हुए पड़े हैं। वे रो रहे हैं कि हमें अपनी जमीनें दी जायं और दूसरी तरफ कांग्रेस के आदमियों को गांव के गांव मिले हुए हैं जो अपने पंपों के जरिये, ट्रेक्टरों के द्वारा, खेती कर रहे ह, जो यहां के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर यहां रहने लग गये हैं, जिन्होंने यहां अपनी बड़ी-बड़ी जागीरें बनाली हैं।

इतना ही नहीं, किन्तु एक बीहड़ है, जिसमें एक साहब को, जिनका नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता, २०० बीघा जमीन दी गई है। इस तरह से एक आदमी के पास २०० बीघा जमीन होने पर भी उसके पास से कोई छीनने का इरादा नहीं करता, लेकिन एक किसान जिसके पास अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए १० बीघा से ज्यादा जमीन नहीं होती है, छीन ली जाती है। जबकि उनको यह कह कर जमीन दी गई थी कि यह जमीन तुम्हें पांच साल के लिए देते हैं। लेकिन उसके बाद यदि वह साल भर बाद किसी से ६ बीघा जमीन ले लेता है तो उसके लिए कहा जाता है कि यह जो तुमने ६ बीघा जमीन ली ह, बडा कसूर किया है; इसलिये हम तुम्हारे से जमीन छीन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कहां का न्याय हो सकता है? यदि किसी किसान के पास अपनी १०-२० बीघा जमीन है तो उनको पट्टा क्यों नहीं देते हैं? जिसके पास २ बीघा जमीन है उसको ५ बीघे का पट्टा दे दिया। इस तरह से सात बीघों में जब उसका काम चला नहीं तो वह दूसरे लेन्ड लॉर्ड से १० बीघा जमीन का पट्टा और ले लेता है। कुछ केसेज इस तरह के हैं, कुछ दूसरी तरह के। इस तरह से एक चीज हो रही है। सबसे ज्यादा जो मुझे शिकायत है वह यह है कि आप जब चाहें जिससे जमीन छीनिये, जिसको चाहें उस दे दीजिये; लेकिन दीजिये या छीनिये किसी नियम के अनुसार। अगर आप उसे बाकायदा नोटिस देते हैं तो बाकायदा उसे ऐतराज पेश करने का भी मौका दीजिये। जिन खेतों

पर उन्होंने जून के महीने में वर्षा होने पर फसल बो दी है तो जुलाई, अगस्त और सितम्बर में आपको उनसे वह जमीन नहीं छीननी चाहिये। किन्तु इस तरह से जमीन छीनी गई है। इस प्रकार सैकड़ों रिट दायर किये गये हैं; लेकिन वहां के लोकल कमेटी के मेम्बरान जानते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या होते हैं. उसके मायने होते हैं कि "रोक दो"। इससे पहले ही इधर से उठाकर उधर जमीन दे दी जाती है। तहसीलदार, कलेक्टर महसूस करते हैं कि यह अन्याय हो रहा है; लेकिन उनका इस सम्बन्ध में कहना है कि वे क्या कर सकते हैं। कमेटी के लोग मिनिस्टर साहब के पास पहुंच कर हमारी शिकायत कर देंगे और हमारा तबादला यहां से उदयपुर करवा देंगे। इसलिये वे कमेटी के खिलाफ कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं होते। इस तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस का यह कर्तव्य है कि इस वक्त जो लोगों को मुसीबत हो रही है, उससे उन्हें बचाइये। अगर कोई भी कानून बनाना हो तो उसके नियम हाउस के सामने रखे जाने चाहियें, उस पर विचार किया जाना चाहिये और उन नियमों का निर्धारण भी हाउस की ओर से किया जाना चाहिये; फिर वे नियम लागू किये जाने चाहियें। अपीलों का ट्रिब्युनल बनाइये। जब सेटलमेन्ट हुआ था उस वक्त यह तय हुआ था, रूल्स मौजूद हैं कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो आज्ञा देंगे उसकी अपील ऐस० डी० ओ०, सेटलमेन्ट के यहां होगी। इसका रिविजन कलेक्टरी में होगा। वे तमाम चीजें फाइनल हो रही हैं। २००३ वाली रिट्स हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच पड़ताल के बाद जमीन दी गई है। लेकिन इस सम्बन्ध में नये सिरे से नयी चीजें लाकर के रख दी गई हैं। इस तरह से न किसी के साथ इन्साफ होता है और न और कुछ। आज जिसके पास १६ बी जमीन है उसे छीन लेते हैं, १० बीघा वाले से छीन लेते हैं। इस तरह से कमेटी वह जमीन दूसरे को दे देगी। इस तरह से हर साल होता रहेगा। इस तरह से लाखों रुपया रिश्वत की तौर पर लोगों की जेबों में जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसके खिलाफ भी लोग बोलेंगे। उस पर मुझे अन्त में बोलने का अवसर होगा इसलिये हाउस का समय ज्यादा न लेता हुआ हाउस से यह अपील करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उसमें कुछ शुबहा हो तो वे मुझसे पूछें, मैं सब चीजें हाउस के सामने रखने को तैयार हूं। चेलेन्ज को स्वीकार करने को तयार हूं। आप इस सम्बन्ध में यह न सोचें कि यह बात इधर से रखी गई है, उधर से नहीं है, यह नहीं होना चाहिये। मैं यह आशा करके चलता हूं कि यह ऐसा है। प्रस्ताव नहीं है जिस पर लोगों में पार्टी बाजी के बेसिस पर वोट लिये जायं। हम राजस्थान विधान सभा में यह उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि जिस चीज में इन्साफ मिलेगा, जहां न्याय का सवाल आयेगा हम जरूर न्याय करेंगे, अन्याय को कभी सहन नहीं करेंगे। मैं निवेदन करूं और साथ में यह भी साफ करना चाहता हूं कि यह जो केसेज सामने आये हैं उनके लिए क्या क्या किया? मैं कलेक्टर, अलवर, के लिए रेवेन्यु सेक्रेटरी महोदय से मिला, उनसे चिटठी लिखवाई, तार दिलवाये। मैंने पिछली दफा हाउस के सामने कहा था कि मैंने अलवर तार दिलवाये। इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी साहब से पूछा कि वे कागजात आपके

पास आये हैं या नहीं। उन्होंने कहा नहीं आये; मैंने वायर कर दिया है। यहां ये चीजें हो रही हैं चार पांच तार, रिमाइन्डर आदि चले गये, फिर भी अफसर यहां नहीं आये। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि मैं आपकी जगह अफसर होता तो क्या मजाल थी कि अब तक वह अफसर अपने बस्ते के साथ यहां उपस्थित नहीं होता। इसका जवाब दिया गया कि मैं सरकार को रिपोर्ट करूंगा कि कलेक्टर नहीं सुनता है। अब सारे गवर्नमेंन्ट के मेम्बरान यहां बैठे हुए हैं, असेम्बली के मेम्बर्स भी बैठे हुए हैं, जो कुछ कानून बना है जो चीजें मैंने रखी हैं वे यह कि आप सब लोग उन गरीब किसानों के साथ न्याय कीजिये, जिनकी खड़ी हुई फसल वगैर नोटिस के छीन कर दूसरों को दी जा रही है। इन शब्दों के साथ म अपना प्रस्ताव आपके सामने पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष:--Motion moved. The resolution is—

"This House is of the opinion that the holdings of all those tenants who were in possession of evacuee lands during Smt. 2008 and who have been ejected and whose holdings were not given to displaced persons not yet settled be restored to them immediately and a report containing full data regarding such tenants be placed before the House, and that the Tenants Protection Ordinance be now made applicable to these tenants also."

श्री हरिदत्त:—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह किसी उसूल पर आधारित है। जो इवेक्युई प्रोपरटी है उसे कस्टोडियन या असिस्टेन्ट कस्टोडियन जो काश्त करने के लिए दे देता है या किसी को उससे वंचित करदे; लेकिन साथ में यह विचारने लायक बात है कि यदि किसी काश्तकार को जमीन दी जाती है तो वह उससे ले लेते हैं, वगैर नोटिस दिये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि उसको हटाने के लिए अवश्य समय दिया जाना चाहिये। हमें उस समय में यह भी देखना चाहिये कि उस समय उसके खेत में फसल तो खड़ी नहीं है क्योंकि उस फसल पर उसके तमाम कुटुम्ब के जीवन-निर्वाह का दारोमदार है, ऐसी जमीन को नहीं छीना जाना चाहिये। टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट की जो लेन्डस हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन इसके मायने यह लिये जाने लग गये हैं कि काश्तकारों को जो जमीन दी गई है उससे उन्हें किसी भी समय बेदखल किया जा सकता है।

इस ओर्डिनेन्स से पहले काश्तकारों को बेदखल करने के लिए एक कानून था। वह कानून हर जगह था और इस ख्याल से था कि उनको (काश्तकारों को) बेजा वक्त पर परेशान न किया जाए; नाजायज फायदा न उठाया जावे। उस कानून के तहत मई और जून में भी बेदखल किया जा सकता है किन्तु वह नोटिस देने के बाद हो सकता था। इससे मालूम हो सकता था कि मालिक बेजा

फायदा उठाने की गर्ज से तो उस काश्तकार को बेदखल नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में कई नजीरें भी मौजूद हैं। अब स्थिति यह होगई है कि जमीन काश्त की गई है फिर भी वह भूमि ली जाने वाली है, और कह यह दिया गया कि जमीन से बेदखल किया जाता है, हटाया जाता है। मेरे मित्र ने उसूल पर जो बात रखी ह, सदन में, वह विचार करने योग्य है और म आशा करता हूं कि यह सदन प्रस्ताव पास करके काश्तकारों के हक में कुछ कर सकेगा और उसे पास करने की अवश्य कोशिश करेगा भी।

श्री छोटूसिंह:––अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपीलालजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में मैं कुछ कहने को खड़ा हुआ हूं। पृष्ठभूमि दरअसल इस प्रकार है कि जिस समय यहां से मुसलमान भागे उस समय लोकल (स्थानीय) काश्तकार काश्त करते थे, सम्वत् २००३ में, चाहे वे रेर्केड पीजेन्टस (किसान) थे या अनरेकर्डेड। उन्हें गवर्नमेन्ट ने प्रोटेक्शन दी और जो काश्तकार मुसलमानों की जमीन पर काश्त करते थे, यह मुनासिब नहीं था कि उनको हर हालत में प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए था। सिद्धान्तों को मानकर जिन काश्तकारों का नाम खसरा जात में अथवा पटवारियों के रेकर्ड में था उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया। उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया गया जिनका नाम खसतजात में नहीं था। इस सम्बन्ध में कमेटियां बिठाई गई, उनके द्वारा जांच-पड़ताल करवाई गई और उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया। इस सिद्धान्त को मान भी लिया गया है और हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए कि जो जमीन मुसलमानों की है वह इवेक्यु प्रोपर्टी और कस्टोडियन में वेस्ट करती है और अगर उन पर किसी का प्राइमरी क्लेम है तो वह शरणार्थियों का है। लेकिन दरअसल हुआ यह कि कुछ गावों में शरणार्थी न आ सके और जो बसाये गये वे भी किसी प्रकार वहां न टिक सके और कुछ जमीन खाली पड़ी रही। लिहाजा यह समझ कर कि जमीन खाली पड़ी न रहे, कुछ लोगों को एक साल के लिए पट्टा कर दिया गया। अगर वह जमीन शरणार्थियों को दे दी जाय या उन लोगों को दे दी जाये जो लेन्डलेस टिनेन्ट्स न है, तो क्या हर्ज है? सम्वत् २००८ में मैं नहीं समझता हूं कि उन पट्ट टिनेन्ट्स का कोई क्लेम है, उन जमीनों पर जिनको एक साल के पटट पर ही जमीन दी गई थी। जो राजस्थान सरकार ने अलोटमेंट कमेटी बिठाई उनके जरिये निश्चित रूप से हर गांव में जहां कहीं १००–१०० बीघा कहीं २००–२०० बीघा और कहीं ४००–४०० बीघा जमीन नाजायज तौर से दबी हुई थी निकलवाया गया और यह सिद्धान्त मना गया कि किसी भी काश्तकार के पास १५ बीघा से ज्यादा जमीन न हो और जो शरणार्थी और मुसलमानों की जमीन पर फायदा उठाना चाहते ह उनको फायदा नहीं मिलना चाहिये; बल्कि फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए, जो मजदूर हैं, लेन्डलेस टिनेन्टस हैं और जिनके पास जमीन नहीं है। ऐसे लोगों से जमीन छीनी गई, जो गलत तरीके से जमीन दबाये बैठे थे और ऐसे लोगों को वह जमीन दी गई जिनके पास कतई जमीन न थी और जो लेन्डलेस थे और जो लेन्डलेस टिनेन्ट्स के नाम से कहलाते थे।

में यह नहीं कहता कि किसी केस में इनजस्टिस नहीं हुआ हो और रिश्वत किसी भी केस म नहीं ली गइ हो; एसा हो सकता है। लेकिन इस वात की वजह से कि किन्ही दो चार केसेज में इनजस्टिस हो गया हो उन लोगों से जमीन लेकर उन लोगों को न दी जाय कि जो लेंडलेस हैं, मजदूर हैं और जिनके पास जमीन नहीं हैं तो कोई न्याय की बात नहीं होगी। में अर्ज करना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं है कि जमीनें छीनी गई ह या नहीं, बल्कि माननीय सदस्य उन लोगों को प्रोटेक्शन दना चाहत हैं जिनक पास पांच पांच सौ बीघा जमीन है और जिन्होंने गलत तरीके से पट्टे करवा लिये हैं। जहां तक इन कमेटियां का ताल्लुक है वे नियमों के अनुसार, जहां तक मैं जानता हू, बनाई हुई हैं। उनमें कलेक्टर्स को ओथोरीटिज दी हुई हैं; जिनका रिवीजन कलेक्टर के यहां होता है। कुछ कसज में जो फैसले हुए हैं वे फैसले लौटाये गये ह। ऐसी हालत में जो जमीनें दी गई हैं अलोटमन्ट कमेटीज क जरिये मुनासिब ह। यह उन लोगों के इन्टरेस्ट म था जिनक पास जमीनें नहीं थीं या आज तक जो मजूदरी करत थे और जो लेन्डलेस थ। मैं समझता हूं कि हाउस इस बात पर ध्यान देगा और सोचेगा। उन लोगों क मुकाबले में जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वे उनसे छीन कर लेन्डलेस को देदी गई; तो उचित है। अतः इस प्रस्ताव को पास नहीं करना चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्युशन ओफ लन्ड सरकार न किया है उसके लिए उसका एप्रिशियशन करना चाहिए जिसकी वजह स उन हरिजन भाइयों को जमीनें मिलीं जिन्हें स्वप्न में भी जमीनें मिलने का ख्याल नहीं किया जा सकता था। यह कह कर म अपना आसन ग्रहण करता हू।

श्री मोहम्मद इब्राहिमः—जनाबे सदर, जो रिजोल्युशन श्री गोपीलालजी यादव ने जो पश किया ह उस पर म भी कुछ अज करना चाहता हू। इस रिजोल्युशन में मतरूका जायदाद के बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें बाज चीजें ठीक ह। जो मुसलमान हिन्दुस्तान से पाकिस्तान चल गय ह और उनकी जो जायदाद मतरूका पीछ बची ह उसमें दिल्ली, यू० पी० और पंजाब में शरणार्थियों का हक तसलीम किया ह। उस पर पाकिस्तान से आने वाल शरणार्थियों का हक ह। पर अलवर और भरतपुर में कुछ अजीब तरह का ढंग चल रहा ह। वहां पर जो मेव लोग रहते हैं उन्हें बार बार तंग करने की कोशिश की जा रही ह। सन् ४६ में कुछ जमीनें मेवों को वापिस दी गई थीं पर उसके बाद कुछ अजीब ही तरह का रवैया चल रहा है। जैसा कि श्री यादवजी ने फरमाया था, पट्टा कमेटियां बनाई गई थीं, जिनमें कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। जो काश्तकार हों या काश्तकारी से वाकिफ हों ऐसे सदस्य होते तो कुछ समझकर काम करते। १५ सितम्बर और २२ सितम्बर के बीच में जो रिपोर्ट आई उन्होंने उन पर कार्यवाही करली। खड़ी फसलों के खेत इधर से

उधर दे दिये। इससे खासतौर से मेव लोगों को बहुत नुकसान हुआ। वहां पर लालाजी की दुकान व नानाजी की फातिया वाला हिसाब हो रहा है। जितनी भी जमीन मेवों से ली जासकती है लेने की कोशिश की जाती है और वह जमीन उन लोगों को दी जाती है जो शरणार्थी नहीं हैं। यदि शरणार्थियों को दी जाती तो हम मान भी लेते कि ऐसे आदमियों को दी गई हैं जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, पर ये जमीनें दी जाती हैं दूसरे ही तरह के लोगों को। मैं यह नहीं कहता कि हरिजनों को जमीन नहीं दी जाय। उन्हें अवश्य दी जाय। पहले जिन गांवों में मुसलमान रहते थे उन गांवों में रहने वाले हरिजनों का गुजर दूसरी तरह से चल जाता था; पर अब वहां पर मुसलमान नहीं रहे हैं तो ऐसे गांवों में दूसरा कोई काम उन हरिजनों के लिये नहीं रह गया है; इसलिये उनको जमीन जरूर दी जानी चाहिये। लेकिन उनको मुसलमानों की ही जमीन क्यों दी जाय? यदि उनको खैरात करना है तो दूसर सब से भी लीजिये। दूसरों से यदि आप ४ बीघा लेंगे तो हम ६ बीघा देने को तैयार हैं लेकिन पहले हमारी जमीन तो हमको दीजिये। पट्टों के लिये जो कमेटियें बनाई गई थीं उनके मेम्बरों ने अपना अपना फायदा सोचा। उन्होंने अब तक जो जमीनें निकाली हैं उनमें से ज्यादातर हमारी जमीनें हैं। हिन्दुस्तान के आईन में यह बात कही गई है कि जहां पर मुसलमान मौजूद हैं वहां पर उनसे उनकी जायदाद नहीं ली जाय। एक तरफ आप यह कहते हैं और दूसरी तरफ आप हमसे जमीन छीनना चाहते हैं; यह कहां का न्याय है? अलवर और भरतपुर से मुसलमान भागे नहीं थे बल्कि उनको वहां से भगाया गया था। उनकी छाती पर बन्दूकों की नालियें व मशीन गनें लगाकर वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया था। श्री गोपीलाल यादव ने नादिरशाह व आलमगीर का नाम लिया है, मगर आलमगीर की मिसालें नादिरशाह के साथ नहीं जम सकतीं। आलमगीर मुन्सिफ मिजाज़ का बादशाह था। इसलिये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें यह तरमीम होनी चाहिये कि सं २००३ में जिन जमीनों का जिक्र अदालती कागजात में नहीं हैं उन जमीनों को निकाल दिया जाय। एक गांव की मैं मिसाल देना चाहता हूं; उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा। कुछ लोगों की जमीनें उस गांव में छीन ली गइं। जब जमीन के मालिक भागे हुए चेकिंग अधिकारियों के पास गये और जमीन वाले ने बताया कि मेरे गांव में सब के पास ऐसी ही जमीन है। नेता लोगों ने दी थी और उसन पूछा कि हमारी जमीन क्यों छीनी गई तो जवाब दिया गया कि तुम्हारी जमीन का रेकार्ड में जिक्र नहीं है, सं० २००३ के खसरे में तुम्हारा नाम नहीं है; इसलिये वह निकाली गई। ऐसा जवाब दिया गया। वहां क नेता लोग एसी नाइन्साफी क्यों कर रहे हैं? यदि जमीन छीनी जाती है तो सबसे छीनी जाय; खाली हमी से क्यों छीनी जाती है। गांव गांव में मेव लोग विना जमीन पड़े हुए हैं। कांग्रेसी सदस्य जो काश्तकार

नहीं हैं उन्हें ऐसी जमीन नहीं लेनी चाहिये चाहे वे यहां की कांग्रेस के सदस्य हों या चाहे इन्डियन नेशनल कांग्रेस के सदर हों। एक आदमी के लिये जमीन दूसरे से छीनी जाय और उस कांग्रसी को दी जाय, यह नहीं होना चाहिये। कानून में यह साफ लिखा जाना चाहिये कि जो मुसलमान हिन्दुस्तान में मौजूद हैं उनकी जमीन हर्गिज नहीं ली जाय और वापिस उन्हीं मुसलमानों को की जाय। जिस हकूमत ने कानून बनाया है उसका पालन उनको निडर होकर करना चाहिये। ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि यदि हम उन्हें जमीन नहीं देंगे तो इलेक्शन के समय हमको राय नहीं मिलेगी। इसलिये मैं अपील करूंगा कि बगैर किसी लालच के निडर होकर काम करना चाहिये। इतना कहकर मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद:—अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव की खिलाफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट का एम. एल. ए. हूं; इसलिये मुझे इस संबंध में खुद को जानकारी है और इसलिये यादवजी ने आज इस संबंध में जो कुछ कहा है उस पर मुझे ऐतराज है। पहला ऐतराज यह है कि यह एक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और उसी के अंतर्गत कमेटीज फोर्म की गई हैं। इस एक्ट के मुताबिक कस्टोडियन को किसी जमीन पर कब्जा करने की पोवर दी गई है और मैं समझता हूं कि यह सदन इस एक्ट को रद्द नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की जमीन के बारे में बहुत से रिट' हाई कोर्ट के सामने पेश हैं। उन रिट-एप्लीकेशनस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जब इस प्रकार की रिट्स हाई कोर्ट के सामने हैं तो इस सदन में इस पर कोई विचार नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बहुतसी बातें कही गई हैं मैं समझता हूं वे निर्मूल हैं। जहां तक सलाहगीर कमेटियों में कांग्रेसी सदस्यों का संबंध है उन्होंने बिना किसी पक्षपात के काम किया है। अलवर में पांच एम० एल० ए० इन कमेटियों के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इनसे बढ़कर पब्लिक के दूसरे नुमाइन्दे नहीं हो सकते। इसलिये जो बातें यादवजी ने बताई हैं वे भरतपुर के बारे में लागू हो सकती होंगी जहां से वे खुद आये हैं किन्तु जहां तक अलवर का संबंध है मुझे पूरी जानकारी है और मैं इस हाउस को विश्वास दिला सकता हूं कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यह नियम है कि जिनके पास १६ बीघा से कम जमीन है उनसे नहीं ली जाय और जिनके पास जमीन अधिक है उनसे ली जाय और यह जमीन हरिजनों और दूसरे लोगों के लिये जिनके पास जमीन नहीं है ली गई हैं। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है।

मैं समझता हूं कि पट्टा कमेटी ने जो जमीन का वितरण किया है वह बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से हुआ है। अगर उनसे जमीनें ली जाती

है तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। जिनको जमीनें दी गई हैं वे बहुत छोटे २ काश्तकार हैं। उनसे अगर जमीनें छीन ली गई तो बहुत बड़ा अन्याय किया जायगा।

इसलिये जो सम्वत् २००८ के काश्तकारों के बारे में कहा गया है कि उनके हकूक छीन लिए गए हैं उसके बारे में मैं यही अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल गलत बात है।

जिन लोगों नें जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया था उनको मना कर दिया गया था कि वे आयन्दा साल में उस जमीन पर काश्त न करें; परन्तु बहुत से लोगों ने कानून को हाथ में लेकर हल चला दिये और मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में उनको नोटिस देने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर उन्होंने जबरन काश्त की है तो उनसे जमीनें लेने का सरकार को हक है।

इसके अलावा मौलाना साहब ने बहुत बड़ी तकरीर की और यह बताया है कि इस सम्बन्ध में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव मुसलमानों के हक के खिलाफ है। सम्वत् २००८ में जिन लोगों के पास में जो जमीनें थीं वे उनसे नहीं ली जाती हैं तो मैं कहता हूं कि यह मुसलमानों के हक के खिलाफ की बात होगी। इस सम्बन्ध में पट्टा कमेटी की ओर से सब शिकायतों को सुना गया और वे गलत साबित हुई हैं। इस सम्बन्ध में जो काम किया गया है वह बहुत ही अच्छे ढ़ंग से और न्यायपूण तरीकों से किया गया है।

जहां तक Tenants Protection Ordinance को उन काश्तकारों पर लागू करने का सवाल है वह Central Government के Evacuee Property Act के खिलाफ है। इसलिये वह कानून उन काश्तकारों पर लागू नहीं किया जा सकता।

अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मेरी यह राय है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय।

श्री घासीराम गुप्ता:—श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं।

अलवर जिले में जो पट्टा कमेटियां बनाई गई उनके विषय में माननीय यादवजी न कहा कि बड़ी धांधली हुई और जो बे-जमीन वाले थे उनसे जमीनें छीन कर जमीन वालों को देदीं; यह गलत बात ह।

इस सम्बन्ध में जो हिदायतें निकाली गई उनमें साफ आदेश है कि जो पुराने बे-जमीन वाले पटटेदार हैं उनसे जमीनें नहीं ली जायं. जमीनें उन्हीं के पास से ली जायं जिनके पास बहुत जमीनें हैं और जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों से उन पर कब्जा किया है।

जमीनें उन्हीं लोगों के पास से ली गई हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें थीं और जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों से उन जमीनों पर कब्जा किया था।

सम्वत् २००८ में काश्त की जमीनें बहुत बड़े २ रोबदार और मालदार आदमियों ने पटवारियों आदि से मिल कर लीं और उन पर कब्जा किया था। जो लोग गरीब थे, हरिजन थे, वे लोग, जिस वक्त मुसलमान आये, उस समय तक जमीनों पर कब्जा नहीं पा सके। तिजारा तहसील में मेवों को कई हजार बीघा जमीनें पट्टा कमेटी न दिलवाई। इस सम्बन्ध में पट्टा कमेटी ने जो इंतजाम किया है वह बिल्कुल वाजिब और ठीक किया है। इस सम्बन्ध में जो यह कहा गया है कि नादिरशाही हुई, यह गलत है। जिन लोगों से जमीनें लीगई हैं उनके साथ यह सलूक किया गया है कि तैयार फसल काटने के बाद औरों को पट्टे दिये गये हैं। जिन्होंने फसल बोई थी, उन्हीं को काटने का हक रहा है।

जो इवेक्युई प्रोपर्टी के बारे में रिजोल्यूशन लाया गया है, गलत है क्योंकि यह उन लोगों को फायदा पहुंचाने को है जिनके पास पहले से ही ज्यादा जमीनें हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री भोलानाथ:--जो प्रस्ताव चल रहा है, मैं नहीं समझता कि इसका कोई महत्व है। सम्वत् २००८ का नाम लेकर श्री यादवजी ने अपने पुराने ख्याल जाहिर करने की कोशिश की है और Evacuee Property के साथ जयपुर के और दूसरे हवाले जोडन की कोशिश की है। उनका हमेशा इसी प्रकार का रवैया रहा है कि कभी तो कहते हैं कि अभी तो हिन्शियों की गवर्नमेन्ट चलती है, कभी कहते हैं अन्याय, अत्याचार की गवर्नमेन्ट चलती है; नादिरशाही गवर्नमेन्ट चलती है। वह यह नहीं देखते कि किस प्रस्ताव पर और कहां ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए।

प्रस्ताव यह है कि सम्वत् २००८ के काश्तकारों से जमीनें नहीं ली जानी चाहिए। इसमें नादिरशाही कहां आ गई? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो झगड़ा हमारे अलवर-भरतपुर में है। वह Evacuee Property से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इस प्रस्ताव में Evacuee Property का सवाल रख कर सारे राजस्थान का प्रश्न रखा है; पर प्रस्तावक ने सिर्फ अलवर और भरतपुर का ही जिक्र किया है।

जहां तक अलवर का प्रश्न है मेरे मित्रों ने खुलासे से कहा है। मौलाना साहब ने कहा कि उस समय में सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति काम कर रही थी, उन्होंने मेवों को भगाया। अंग्रेजी में प्रस्ताव होने के कारण मौलाना साहब समझ नहीं सके कि यह जो प्रस्ताव रखा है वह मेवों के खिलाफ रखा है।

अब यह तय किया गया है कि चाहे ऐसी जमीनों के पट्टे किसी काश्तकार के पास हों और चाहे उसने गिरवे भी रखे हों तो भी उनको लेकर मेवों को, जिनके पट्टे हैं, उनको दे दिये जायं। इससे उन लोगों को जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों से कब्जे किए हैं उन्हें नाराजगी होती है। पर इससे कोई भी गवर्नमेन्ट झुक नहीं सकती।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय यह मामला हुआ हमारे यहां हिन्दुस्तान में और राजस्थान में, सारी जगह एक असंतोष की लहर फैली और कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रियावादी थे, मसलन जहां राजपूत थे वहां राजपूतों ने और जहां जाट थे वहां जाटों ने मेवों आदि को निकाल कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ लोगों ने उनको लम्बी लम्बी जमीनों के पट्टे कर दिये। लेकिन जिस समय मत्स्य बना उस समय इस प्रकार की सब कार्यवाही को नाजायज समझा गया। जिन लोगों ने साम्प्रदायिकता के आधार पर दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था उनको सरकार ने वापिस कब्जा दिलाया। आप जानते है कि जब रद्दोबदल होती है तो उस समय व्यवस्था ठीक नहीं होती, नये कानून मौजूद नहीं होते और उसके लिये इमर्जेन्सी कानून बनाने पड़ते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय स्वयं यादवजी मेरे साथ मत्स्य में मंत्री थे और उन्होंने कई विज्ञप्तियें निकाली थीं, करीब १० विज्ञप्तियें एक दूसरे के बाद निकलती रहीं; जहां जहां उनको गल्तियें महसूस हुई और उन लोगों के लिये दूसरी जमीनों का प्रबन्ध होता था। परन्तु मत्स्य जिसे कहते हैं उसमें धौलपुर-करौली नहीं थे। अलवर में ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं हुईं, भरतपुर में ज्यादा हुईं।

मगर यह माना गया कि गवर्नमेन्ट अपना नुकसान उठा कर भी, चाहे उसे खजाने से कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको हटाया जाएगा और जिन लोगों ने दूसरों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है उनको हटा कर उनकी जगह शरणार्थी और मेवों को बसाया जाएगा, यदि यह मालूम होजाए कि किसी ने नाजायज तरीके से मेवों को निकाल कर उन्हें लेंडलेस बनाया है।

अलवर-भरतपुर राजस्थान में ऐसे स्थान हैं जहां डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन ज्यादा है और जहां एक डेढ़ या दो बीघे से ज्यादा जमीन किसी को देना सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी हालत में किसी के पास १६ बीघा जमीन छोडना कोई मामूली बात नहीं, यह एक बहुत बड़ी रियायत है। श्री यादवजी ने २० बीघे का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भरतपुर के बीघे अलवर के बीघे से छोटे होते हैं। इसी सिद्धान्त को मद्दे नजर रखते हुए अलवर में एलोटमेन्ट ऑफ लेन्ड की व्यवस्था की गई है। मगर इस प्रस्ताव द्वारा हाउस में यह कहना कि लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और बहुत गड़बड़ी चल रही है, वाजिब नहीं। अभी मेरे कुछ साथियों ने बहुत सी बातों को चेलेंज किया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस चेलेन्ज को स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ कहने की बात है और लोगों को बिल्कुल गलत बात बता कर धोखे में डाला जाता है कि जो व्यवस्था की जा रही है वह ठीक नहीं है। मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला है और मैं अच्छी तरह से उसको जान सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जो स्थायी व्यवस्था का प्रश्न है उसको पहले समझने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक होगा। आपने कहा कि रेन्ट इन्क्वायरी कमेटी बिठाते। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि डिप्टि सेक्रेट्री, गवर्मेन्ट आफ इन्डिया भी इस सम्बन्ध में आये थे और उस समय यह तय

हुआ था कि इस डिपार्टमेन्ट का नाम रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेन्ट न रख कर रीसेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट रखा जावे ; क्योंकि लोगों को जमीनों पर बसाने का सवाल था और जो रीहेबिलीटेशन ओफिसर था उसका नाम रीसेटलमेन्ट ओफिसर रखा गया। उस समय यह सोचा गया था कि मेवों को जितना बसाया जा सके, बसाया जावे और शरणार्थियों को बसाने के बाद जो जमीन रहे उसको ठीक ढंग से देने की व्यवस्था की जावे। लेकिन मैं मानता हूं कि फिलहाल परमानेन्ट सेटलमेन्ट के तरीके मूव नहीं होसकते जब तक कि यह सब बातें तय नहीं होजातीं। अलवर में व भरतपुर में शरणार्थियों का आना बन्द कर दिया गया। भारत सरकार की यह पोलीसी है कि चाहे किसीको भी बसाया जावे, चाहे मेवों को बसाया जावे, या दूसरों को, उनको परमानेन्ट पट्टे नहीं दिये जावें, सिर्फ एक साल के लिये ही पट्टे दिये जावें। अब उसी बात को इस तरह से कहना कि यह परमानेन्ट व्यवस्था के लिये किया गया है, वाजिब नहीं। इसके लिये बहुत सी बातें तय करनी होंगी। बाकायदा महकमा बनाया जावे और आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसका ध्यान रखना होगा। मैं यह कहूंगा कि आज भी यह तय नहीं हुआ कि कौनसे रूल से उनको जमीनें दी जा रही हैं। मेवों के बारे में यह तय है कि उनको ओरिजिनल होल्डिंग्ज अगर नहीं मिल सकते हैं तो उनको आल्टरनेटिव होल्डिंग्ज दिये जावें। आज तक उनकी जमीनों पर शरणार्थी बस गये हैं, उनको डिसप्लेस नहीं किया जा सकता, दूसरी जगह उनको जरूर दी जा सकती है। उसका क्या तरीका होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस समस्या के साथ कई दूसरे सवाल भी उलझे हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि कब्जे का प्रश्न जो है उसको लेकर वे हाई कोर्ट में गये और वहां से भी उनका कब्जा छूटा नहीं, तब आपने इस प्रश्न को हाउस के सामने लाने की कोशिश की है। उन्होंने कब्जा छोड़ा नहीं, ऐसी हालत में उन पर क्रिमिनल केस भी चलाना चाहिए और ऐसे सवालों को हाउस में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जानी चाहिए, जो हमारे मित्र मांग करते हैं।

मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने आपके सामने कहा है उससे स्थिति साफ है और जो प्रस्ताव आया है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनसे कब्जा छुडाया जावे। मैं अब ज्यादा कह कर हाउस का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं और समझता हूं कि हाउस इस प्रस्ताव को डाउन राइट (down right) रिजेक्ट करेगा।

श्री शाह आलीमुद्दीन: जनाबे सदर, इस प्रस्ताव के मुतल्लिक में आपका ज्यादा समय नहीं लेकर सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि मेरे लायक मित्र ने इस प्रस्ताव द्वारा सेन्ट्रल Evacuee Property एक्ट को खतम करने को कोशिश की है और जो कानून हैं उसकी बड़ी हद तक मुखालफत की है। Tenants Protection Ordinance की आड़ लेकर इवेक्युई प्रोपर्टी एक्ट को खतम कर दिया है। म यह बताना चाहता हूं कि इवेक्युई प्रोपर्टी एक्ट के तहत दो प्रकार की प्रोपर्टीज हैं ; एक तो उन लोगों की प्रोपर्टी जो वाकई पाकिस्तान चले गये। उनकी प्रोपर्टी इवक्युई प्रोपर्टी डिक्लेअर होगई। दूसरी वह कि उन लोगों की जमीन या, प्रोपर्टी जो उस

समय की परिस्थितियों के कारण या गलत फहमी की वजह से जो हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लग गये और उनकी प्रोपर्टी इवेक्युई प्रोपर्टी मान ली गई। सेक्शन १६, इवेक्युई प्रोपर्टी एक्ट में साफ लिखा है कि जो हिन्दुस्तान में रिसेटलमेन्ट का परमिट मिलने के बाद वापिस आवेंगे या सरकार को यह मालूम होजावेगा कि वे हिन्दुस्तान में रह रहे थे तो उनको उनकी प्रोपर्टी वापिस दे दी जावेगी। यह सम्वत् २००८ का मसला पेश करके यह साफ है कि उन लोगों की जायदाद जिन पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है, जो किसी डर की वजह से यहां से भागे थे, उन्हें उनकी जमीनों से महरुम रखा जावे और जो लोग जमीन पर काबिज हैं उनको काबिज रहने दिया जाए। यह कानून की बहुत बड़ी मुखालफत है। जब एक कानून बन चुका है तो उसको प्रस्ताव के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं आपके सामने यह बतला देना चाहता हूं कि कानून के जरिये कोई भी अन्याय खत्म किया जा सकता है न कि कानून के जरिये अन्याय किया जा सकता है। आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि सन् १६४७ में क्या हुआ, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म और मारकाट हुई और उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। उसको आज तक वे लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी जमीनों को दूसरे लोग जोतते हैं और वे मुश्किल से पेट पालते हैं; मगर वे लोग जो उन जमीनों के मालिक थे खुद भूखों मर रहे हैं। क्या मेरे दोस्त को यह मालूम है कि यह बात सही है और क्या वह अभी भी महसूस करते हैं कि जब गवर्नमेन्ट ने ऐसा कानून बना दिया है तो फिर वे भी इस प्रकार की मुसीबतें भुगतें।

इस प्रस्ताव के जरिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून की एकदम खिलाफवर्जी की जा रही है। सेन्ट्रल एक्ट जब मौजूद है तो एक मामूली रिजोल्यूशन से उसे रद्द नहीं किया जासकता है। यह गलत है; इसलिए मैं इसकी खिलाफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष:–Does the Government want to give reply ? Other replies are over.

श्री अमृतलाल यादव:—माननीय अध्यक्षजी, जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है वह उन माननीय सदस्य का है जो वकील हैं और जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है वे भी एक योग्य वकील हैं। दोनों योग्य वकीलों के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव आता है जिसका व्यवहारिक कोई आधार नहीं! कानूनी आधार के अलावा व्यवहारिक कोई आधार नहीं है तथा और कोई भी आधार नहीं है। यह आज की इस मौजूदा परिस्थिति में अलवर और भरतपुर जिले में विशेष समस्या है। इस समय समस्या का व्यवहारिक हल भी करना है। यह स्पष्ट बात है कि इवेक्युई लेन्ड भारत सरकार के एक कानून द्वारा गवर्नमेन्ट की होती है और उस कानून के द्वारा उस सब जमीन की व्यवस्था होती है। उसके बाद भी माननीय सदस्य जो यह कहना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव द्वारा संवत् २००३ के काश्तकारों को जो अधिकार दिये गये हैं वे अधिकार टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स के द्वारा संवत् २००८ के काश्तकारों को

भी दे दिये जायं। कानून के जानने वाले ही नहीं लेकिन साधारण व्यक्ति भी इस बात को जानते हैं कि यह अधिकार उनको किस प्रकार दिया जा सकता है, जबकि भारत सरकार का कानून बनाया हुआ मौजूद है। २००३ के काश्तकारों को टिनेन्टस प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स के तहत जो अधिकार दिये गये हैं वे भी, आपको, जैसा कि मालूम है कि वे उन काश्तकारों को जो रेकार्ड पर थे, दिये गये हैं और जो रेकार्ड पर नहीं थे उनको भी यह जमीनें दी गई थीं। यह जो कहा गया है कि अनरेकार्डेड का कोई ख्याल नहीं रखा गया, इस बारे में मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह असत्य बात है। अनरेकार्डेड का भी ख्याल रखा गया था और २००३ के काश्तकारों को इस प्रकार की सहूलियतें दी गई थी।

प्रस्ताव पर बोलते हुए नादिरशाही और औरंगजेब और नमालूम किन २ शाहियों का नाम लिया गया, और कैसे कैसे अत्याचार की बातें कही गईं! मैं समझ नहीं पाया कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिए जब ऐसे जिम्मेदार माननीय सदस्य इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की चीजें लाते हैं तो फिर उनके पास और क्या बाकी रह जाता है। खैर यह उनके सोचने की बात है। हाउस और गैलेरी की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनकी जो मरजी आये उन विचारों का इजहार कर सकते हैं। इससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय श्री भोलानाथजी ने कहा था कि अलवर और भरतपुर की एक खास परिस्थिति है, और वहां जमीन पर इतना प्रेशर है कि वहां एक बीघे का भी कुछ मतलब है। कुछ जोता लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के काश्तकार थे। जमीन का मालिकाना अधिकार उनको नहीं था, लेकिन वह इनके यहां काश्त करते थे। उनके पास हल हैं, बैल हैं और काम करने की क्षमता भी है। लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। जो इवेक्युई लेंड थी उसके लिए यह सोचा गया कि वह किसी भी वजह से पड़त या खाली नहीं रहे और वह उनको दे दी गई; लेकिन उनको पर्मानेन्ट अधिकार नहीं दिया गया। किसी किस्म के उसके ऊपर उनको इस प्रकार के कोई राइट्स नहीं दिये गये; उनको महज काश्त करने के लिए वह जमीन दी गई; या तो एक साल के पट्टे पर या ६ महीने के पट्टे पर जमीनें दी गई; उनको प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं दिये गये।

रही बेदखल करने की बात सो बेदखल उन लोगों को किया गया जिनके पास अपने खुद की काफी जमीन मौजूद थी, लेकिन फिर भी इवेक्युई लेंड में से नाजायज तरीके से कुछ जमीनें अपने कब्जे में कर ली थीं। यह स्थिति भरतपुर में थी। अतःएव वहां यह तय किया गया कि १६ बीघे से ज्यादा किसी आदमी के पास जमीन नहीं रहनी चाहिए और उससे ज्यादा जमीन जिसके पास थी सरकार ने कमेटियों के द्वारा उस जमीन को लिया और उन किसानों को देने की तजवीज

की जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। जहां हजारों केस ऐसे हैं वहां एक दो केस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें शायद किसी को वाजिब जमीन नहीं मिली हो। यदि कोई खामी रही, यदि किसी किस्म की कोई बात रह गई तो उसके लिए जब कभी सरकार के नोटिस में यह बात आई सरकार ने उस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया है। सदन के अन्दर जिन माननीय सदस्य ने आज यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वे एक दो बातें मेरे नोटिस में लाये थे तो उसी वक्त मैंने उनको आश्वासन दिया था कि तुरन्त इन्क्वायरी कराऊंगा और जांच करने पर जो वाजिब बात होगी वह जरूर की जायगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो वाजिब बात होगी उसको करने में मैं पूरी २ कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैसी अजीब बात है कि इस प्रकार से काश्तकारों का हित करने के लिए यह बात कही जा रही है। यह भलाई का स्वांग रचा जा रहा है। वास्तव में उसके विपरीत इस प्रस्ताव में बात है। वास्तव में नई जागीरदारियां बनाने के बारे में इस प्रस्ताव की तजवीज है। क्या यह बात इससे स्पष्ट नहीं है कि काफी जमीन होने के बावजूद भी उनको और जमीनें दी जायं और जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है उसको बिल्कुल जमीन नहीं दी जाय ? क्या हाउस इस प्रकार की बात को मान सकता है? क्या यह बात किसानों के हित में कही जा सकती है ? ऐसे हजारों किसान अलवर और भरतपुर जिले में मौजूद हैं जिन के पास आज भी जमीन नहीं है। एक एक बीघा जमीन के लिए वे तरसते हैं। राज्य के लिए यह जरूरी है कि उनकी रोटी का वह इन्तजाम करे। राज्य के प्रमुख का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस बात की व्यवस्था करें कि उनको जमीनें मिलें और इस बात की हमने तजवीज की। जो जमीनें हमारे डिसपोजल पर थीं उसके प्रबन्ध के लिए हमने वे कमेटियें बनाईं जिन कमेटियों के अन्दर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि केवल कांग्रेस के ही सदस्य थे और वह लोग थे जो किसानों के जीवन से परिचित नहीं थे, जो किसान नहीं थे। इस संबंध में मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि उसके अन्दर एसे आदमी हैं जो कि किसान हैं, किसानों के जीवन से परिचित हैं और गांवों में रहते हैं। उसमें कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी का कोई ख्याल नहीं किया गया।

जहां तक मेरे माननीय मित्र मौलवी साहब की बातें हैं मैं यह कहूंगा कि वे शायद, प्रस्ताव अंग्रेजी में होने के कारण, पूरा समझ नहीं सके थे। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव मेवों के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। राजस्थान सरकार इस सिद्धान्त को मान चुकी है कि मेव भाई साम्प्रदायिक-आग की बाढ़ में भागे

थे; भागे नहीं लेकिन उनको भागने के लिए मजबूर किया गया। यह जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने साम्प्रदायिक आग को भड़काया था और अपने देश को बरबाद करने की कोशिश की थी।

तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस सिद्धान्त को मन्जूर किया। जो मेव यहां से चले गये थे या जिनको जाने के लिए मजबूर किया गया था, उनको हमने आश्वासन दिया कि वे आयें, हम उनको बसाना चाहते हैं। हम इस सिद्धान्त को मन्जूर करते हैं कि जो जमीनें वे छोड़ गये हैं, जो उनकी ओरिजिनल होल्डिंग हैं उन ओरिजिनल होल्डिंग्ज को वापिस देंगे इसके अलावा वे अगर नहीं मिलती हैं तो हम इस बात का इन्तजाम करेंगे कि जहां भी जमीन मिलेगी वहां आपको जमीन देंगे; लेकिन मेवों को हम बसायेंगे; इस बात को, सिद्धान्ततया हमने मन्जूर किया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने काफी तादाद में मेवों को बसाया। इन कमेटियों के जो सदस्य थे, जिन लोगों ने इनमें काम किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने गवर्नमेंट और राजस्थान की जनता की भरतपुर और अलवर की जनता की विशेष सेवा की कि उन्होने इतनी जमीन निकाली और उस पर अपने मेव भाइयों को बसाने में मदद की। वहां के काश्तकारों की, किसानों की समस्या हल करने में उन्होंने मदद की।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के द्वारा जो बात कही गई उसके बारे में ठीक साधारण बुद्धि वाला आदमी भी इस बात को जानता है कि यह व्यवहारिकता के बिल्कुल विपरीत है; जहां के माननीय सदस्य हैं वहां के एक एक व्यक्ति के हित के विपरीत है। हो सकता है कि उन लोगों के हित में यह बात हो जिनके पास काफी जमीनें हैं, और जो बड़े २ जमीदार हैं; उनको नई जमीदारियां मिल जायं। इस बात की यह प्रस्ताव ताईद करता है। इसका अर्थ स्पष्ट है। सदन के समक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हम जागीरदारियां समाप्त करने जारहे हैं, इन प्रेजेन्ट सोशयल वेल्यूज, सोशयल ऑर्डर को खत्म करने जा रहे हैं तो ऐसी हालत में नई जागीरदारियां पैदा की जायं, ऐसे हालात पैदा किये जायं कि जिसमें गरीब, और गरीब हो जायं, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास काश्त के लिए सब साधन मौजूद हैं, लेकिन काश्त करने के लिए जमीन नहीं है उन लोगों के लिए इस बात की व्यवस्था की जाय, उनको जमीनें दी जायं। मेव भाइयों के लिए हमने इस सिद्धान्त को मन्जर किया था कि हम उनको बसायेंगे। इस तरह से मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है वह निष्प्रयोजनीय है। यदि कोई प्रयोजन उसका है तो वह यही है कि जिनके पास जमीन है उनको और लाभ हो और जो गरीब हैं वे और ज्यादा गरीब हो जायं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को निष्प्रयोजनीय समझता हूं और माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को नामन्जर करे।

श्री गोपीलाल यादवः––माननीय अध्यक्ष, मेरे दूसरी तरफ के मित्रों ने जो बात कही उनको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं यह नहीं समझता था कि मेरे मित्र इस तरह की बातें कह सकते हैं; इसके लिये जो शब्द मैं प्रयोग में लाना चाहता हूं वह पार्लियामेन्टरी है या नहीं; लेकिन मैं कहता हूं; यदि पार्लियामेन्टरी नहीं होगा तो वापिस ले लूंगा कि हम सबों की आंखों में ये बातें कहकर धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है।

श्री भोलानाथः––आंखों में धूल झोंकने की बात तो किसी ने नहीं कही।

श्री गोपीलाल यादवः––मेरे मित्र ने जो बातें कहीं है, उसके लिये मैं कह रहा हूं, सब से पहले उन्होंने यह कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि यह सेन्ट्रल एक्ट के खिलाफ जाता है और मेवों को बसाने से रोका जाय। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को लाकर मेरा यह उद्देश्य कभी नहीं था कि इसमें जो शब्द लिखे गये हैं कि २००८ के किसानों को बेदखल किया गया है उनकी जमीन को मेवों को बसाने के लिए नहीं दिया गया; फिर भी यदि कोई मित्र यह समझते हों कि इससे सेन्स साफ नहीं होता तो मैं इस सेन्स को साफ करने के लिए और भी शब्द जोड़ सकता हूं। मैं यह भी जोड़ने के लिए तैयार हूं कि जिन काश्तकारों को सम्वत् २००८ में बेदखल कर दिया गया है यदि उनकी जमीन मेवों व शरणार्थियों को बसाने के लिए जरूरत हो तो वह जमीन मेवों व शरणार्थियों को बसाने के लिए ले ली जाय; इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे काबिल मित्र श्री शाह साहब ने इसको समझने का प्रयत्न नहीं किया। इसके शब्द साफ हैं "हूज होल्डिंग्ज वर नोट गिवन टू डिसप्लेस्ड परसन्स"। इसका साफ मतलब है कि जो जमीन उन लोगों को नहीं दी गई; जिन लोगों को नहीं बसाया गया उनको जल्दी से जल्दी बसाने के लिए जमीन दी जाय। इस प्रकार के कार्य के लिए किसी भी काश्तकार को जमीन से महरूम किया जायगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर इससे सेन्स साफ नहीं होता है तो जो भी आप सुझाव दें मैं इस प्रस्ताव में जोड़ने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा मेरे मित्र ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है उससे ज्यादा मेरे साथ क्या अन्याय हो सकता है कि मैं मालदारों को और ज्यादा मालदार करना चाहता हूं, जमींदारों को ज्यादा जमींदारियें दिलवाना चाहता हूं। मैं इस चेलेन्ज को स्वीकार करता हूं और मेरे माननीय मंत्री महोदय यह स्वीकार करें कि मैं इस प्रस्ताव में यह भी करने को तैयार हूं जिस किसी के पास १० बीघा जमीन हो वह भी छीन ली जाय; परन्तु २०० बीघा के नये जमींदार पैदा न किये जायं। कांग्रेस उन लोगों से जमीन छीन रही है जिन के पास १० बीघा भी जमीन नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज मैंने रखी है वह किसानों से संबंध रखने वाली है।

श्री भोलानाथः––अध्यक्ष महोदय मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य नाम बता सकते हैं?

श्री गोपीलाल यादव:—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आप तैयार हों तो लीजिये सबसे पहले मोलना इब्राहिम से पूछिये। खोह एक गांव है अलवर जिले में। उस गांव की सारी जमीन सिर्फ दो कांग्रेसियों को दे दी गई। रुड़की से दो ट्रेक्टर लाकर बैठे हैं। उनके जरिये वे वहां खेती कर रहे हैं।

श्री छोटूसिंह:-It is baseless and completely wrong.

श्री गोपीलाल यादव:-(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय अध्यक्ष, अगर इसमें एक भी बात गलत निकले, अगर मेरी गलती हो तो मैं इस हाउस की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं यदि वे प्रमाणित करदें कि मैंने जो कहा है वह गलत है (तालियां) तो मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने को तैयार हूं। सदन से माफी मांगने को तैयार हूं यदि मैंने जो कहा है वह गलत निकले तो। यह नादिरशाही के अत्याचार हैं या नहीं, इसमें मतभेद हो सकता है। मेरे मित्र मौलवी साहब ने कहा कि नादिरशाह और औरंगजेब अत्याचारी नहीं थे, उन्होंने अत्याचार नहीं किया। हो सकता है, उन्होंने इस तरह का अत्याचार न किया हो; इसमें मतभेद हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी चीज में कोई गलती मिल जाय तो आप जो चाहें वह सजा मुझे दे सकते हैं, मैं मानने को तैयार हूं। कमेटी बैठा दीजिये। इस बात की जांच की जाय। मैं इस बात को बतौर मुलजिम के साफ करने को तैयार हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो माननीय मंत्री महोदय ने बातें कहीं है उनको मैं अपने प्रस्ताव में जोड़ने के लिए तैयार हूं। (विचार जारी)

श्री भोलानाथ:-अध्यक्ष महोदय मेरे मित्र ने इस्तीफा आदि देने की दो तीन बातें ऐसी कही हैं जिससे मुझे बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष:-You will not make a speech.

श्री गोपीलाल यादव:-(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में दो बाते हैं, जिनके लिए जो कहा गया है उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिसके पजेशन में जमीन है यदि उसके मामले की जांच ५ साल के बाद हो और उनसे जमीन ली जाती है; सिर्फ इसलिये कि वे अपने मित्रों को या कांग्रेसियों को दें, तो नहीं ली जानी चाहिये। यदि वे मेवों व शरणार्थियों को बसाने के लिए ली जाती हैं तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जमीन ली जाय तो वह किसी नियम के अनुसार ली जाय और अपने मित्रों को देने के लिए नहीं ली जाय। जिनकी जमीन लें उनको आप पहले नोटिस दें और अगले मई महिने में ले लें। मुझे तो सिर्फ इसलिए निवेदन करना है कि अगस्त या जुलाई में उनसे न लें क्योंकि उस समय उनकी खड़ी फसल होती है।

जहां तक इजेक्टमेन्ट का सवाल है मैं यह मानने को तैयार हूं कि जो गैर कानूनी तरीका इवेक्युई कस्टोडियन के खिलाफ पड़ता हो, भरतपुर के लोकल लॉज के खिलाफ पड़ता हो और जो नये नियम हमारे वर्तमान मंत्रीमंडल ने बनाये हैं उनके खिलाफ पड़ता हो और उनके अनुसार उनको इजेक्ट किया गया हो तो ये तीनों चीजें मैं अपने प्रस्ताव में एड करने को तैयार हूं; वे तीनों बातें मानने को तैयार हूं। सरकार के सेन्ट्रल लॉज के खिलाफ अगर इजेक्ट किया गया हो, भरतपुर के लोकल लॉज के खिलाफ किया गया हो और अभी जो नियम लागू हैं उनके खिलाफ किया गया हो तो मैं इन तीनों बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ऐसी दशा में मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार को क्यों ऐतराज होना चाहिये? मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि १० बीघा जमीन जिस किसी किसान के पास हो उस जमीन को भी ले सकते हैं तो फिर मुझको इस तरह से बदनाम क्यों किया जा रहा है कि मैं इस प्रस्ताव को लाकर नयी जमीदारियें पैदा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैंने यह प्रस्ताव बहुत ईमानदारी के साथ सदन के सामने रखा है। सेकड़ों रिट हो रही हैं। हजारों ऐसे आदमी हैं जो रिट नहीं कर सकते। उनके पास पैसा नहीं है।

मैं आपको सामने एक केस रखना चाहता हूं, छोटा सा एक मानका गांव है। मंत्री महोदय उस केस को नोट कर लें। उस गांव में एक हजार ऐसे किसान हैं जो सम्वत् २००३ से पहले रेकर्डेड किसान थे। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी के पास १० या पांच बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। बेदखल बनाने के नियम के पहले ही वे उस जमीन पर काबिज थे। उनको बेदखल करने के ओर्डर्स कर दिये गये; उस कमेटी के द्वारा कमेटी ने लिख कर एक मेम्बर को दे दिया कि आप जाकर इस पर कलेक्टर की स्वीकृति ले आवें। जब कमेटी का मेम्बर उस कागज को लेकर जा रहा था तो कुछ लोगों को मालूम हुआ और उससे पूछा गया। उसने कहा कि यदि तीन हजार रुपया दे दिया जाय तो मैं इस कागज को जेब में रख सकता हूं ("शेम-शेम" विरोधी पक्ष की ओरसे) रुपया इकट्ठा करके उसे दे दिया गया और वह कागज अभी तक उसके पास है। वह कागज जब पेश करेगा, जब कि फसल काट ली जावेगी। आप इस सम्बन्ध में यदि जांच करना चाहें तो मैं कहता हूं कि यह सही बात है और मैं इसको स्वीकार करता हूं; इस तरह अन्याय हुआ है। कोन्स्टिटयुशन में यह फन्डामेन्टल नियम है कि किसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जावेगा। एक किसान के पास १० बीघा जमीन है, उस पर उसके बच्चे बैठे हुए हैं; कमेटी के मेम्बर जाते हैं और उनको वहां से बेदखल करते हैं। वे कहते हैं कि हम मर जावेंगे किन्तु यहां से नहीं हटेंगे। उन लोगों को थाने में लेजाया जाता है। औरतों और बच्चों को वहां से उठा कर फेंक दिया जाता है। अब आप कहते हैं कि जिन लोगों को बेदखल किया जाता है वे लेन्डलेस नहीं हैं, वे ज्यादातर जमीन वाले हैं तो

मैं हाउस से यह कहना चाहता हूं और मेरे मित्र मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें शुबहा हो कि मेरी बात गलत है तो वे दो तीन दिन का टाइम और ले लें और जांच पड़ताल करें। किन्तु जो सत्य बात है उसे अपने साथियों की राय से गिराने का प्रयत्न न करें। मैं जानता हूं कि उनके साथ आदमी ज्यादा हैं, किन्तु वे यह समझें और अपनी राय इस तरह से दें कि इन्साफ हो रहा है या बेइन्साफ। जो बात मैंने कही है यदि उनको सच्ची मालूम हो तो वे उन्हें स्वीकार करें। मैं इन शब्दों के साथ उनसे फिर कहूंगा कि वे इस पर विचार करें और सोचें और अपनी सही राय दें। मैं इस प्रस्ताव के साथ इन शब्दों को जोड़ता हुआ....

श्री अध्यक्ष—There is no amendment with.

(विराम)

I read out the resolution again and then would put it to note:—

"This House is of the opinion that the holdings of all those tenants who were in possession of evacuee lands during Smt. 2008 and who have been ejected and whose holdings were not given to displaced persons not yet settled, be restored to them immediately and a report containing full data regarding such tenants be placed before the House; and that the Tenants Protection Ordinance be now made applicable to these tenants also."

The question is that this resolution be passed.

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष—यह रिजोल्यूशन डिफीट हुआ।

श्री गोपीलाल यादव:—अध्यक्ष महोदय जब दोनों तरफ से "हां" कहा गया है तो यह कैसे डिफीट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष Next.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—I beg to move the following resolution:—

"This house is of the opinion that steps be taken by Rajasthan Government to institute an open judicial inquiry by a Judge of the High Court into the firing at Jodhpur and Kishangarh, on 2nd July, 1952 and 2nd September, 1952, respectively and punish the persons responsible for these acts."

(श्री उपाध्यक्ष का १०–५० पर आसन ग्रहण करना)

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी मन्शा प्रस्ताव की भाषा से ही साफ है। हुकूमत के कायदे और कानून में इस बात की इजाजत दी गई और दी हुई है कि अगर कहीं विशेष परिस्थितियां पैदा होजायं, यदि कानून और व्यवस्था को खतरा पैदा होजाय तो १४४ दफा के मातहत आज्ञा जारी करके, लाठी चार्ज करके, गोली–बारी करके सम्भावित हर तरीके से उसे काबू में लाने का अधिकार अधिकारियों को दिया जाय। प्रश्न यह है कि इस अधिकार का उपयोग किस प्रकार से किया गया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त सरकारी अधिकारी, इन अधिकारों के प्रयोग में लोगों के ऊपर हमला करें, लाठी चार्ज करें, गोली चलाने का मौका आवे तो यह केवल उन्हीं के फैसले के लिए नहीं रखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो कार्य किया है वह सही किया अथवा नहीं। और इसीलिए इस प्रस्ताव की मंशा यह है कि ऐसे गंभीर सवालों पर, ऐसी गम्भीर परिस्थितियों में, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुमकिन है कि कुछ सदस्यों की, कुछ साथियों की यह राय हो कि जो कार्य किया गया था वह सही था, मुमकिन है कि कुछ लोगों की यह राय हो कि, जैसी कि मेरी स्वयं की राय है कि वह कार्य अनावश्यक था और गैर जरूरी था, लेकिन राय कुछही ही और कैसी ही हो। उन घटनाओं के बारे में क्या राय है–मैंने यह नहीं रखा है। मैंने फैसले के लिए यह रखा है कि उन घटनाओं की जांच हो, किसी हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की जाय। मेरी मान्यता है कि यह ऐसी चीज भी है कि इसके लिए हुकूमत द्वारा किसी भी हालत में इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। अगर हुकूमत को तसल्ली है अगर सरकार को तसल्ली है, कि जो कार्यवाही की गई थी वह न्यायपूर्ण थी और सरकार को विश्वास है कि गोलियां चलाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, तो मैं यह कहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेना चाहिए। मेरे कहने के पहले ही यदि यह कदम उठा लेती और एक न्यायालय के सामने, एक हाईकोर्ट के जज के सामने यह मामला पेश कर दिया जाता तो वह तसल्ली वास्तविक होती, अवास्तविक नहीं। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। इसलिए इसके साथ साथ मैं आपके जरिये इस हाउस को यह भी बताना चाहता हूं कि आज तक ऐसी कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस पर कोई गौर तक नहीं किया गया। जो घटनायें घटी हैं उनका जिक्र मैं थोड़ा करूंगा। उसे अंग्रेजी में "प्राइमाफेसी केस" कहते हैं, उसीको मैं पेश करूंगा। वहां के अधिकारियों का कदम ठीक नहीं था, वाजिब नहीं था और इसलिये मैं कहूंगा कि इस प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार किया जाय।

क्या क्या घटनायें हुईं, उनके बारे में मैं अब अर्ज करूंगा। २८ जून, सन् ५२ को जोधपुर शहर में वहां की नर्सों और कम्पाउडरों ने, जो सरकारी मुलाजिम हैं, भूख हड़ताल की और उसके बाद जो घटनायें घटी हैं, उस सिलसिले में सरकार ने जो रुख अख्त्यार किया था उसका यह नतीजा हुआ कि वह बात केवल एक भूख हड़ताल ही नहीं रही; बल्कि उससे शहर में लाठी चार्ज और

गोली कान्ड तक होगया। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जिनके कारण भख हड़ताल हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि भूख हड़तालियों ने एक प्रश्न पेश किया था कि जब हम नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मेट्रिक्युलेशन की बार (Bar) हम पर क्यों लगाई जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी सुना रहे थे कि सरकार के पब्लिसिटी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मेट्रिक्युलेट नहीं हैं लेकिन उनके पास जो दूसरी बड़ी योग्यताएं हैं वे उस पद के लिये काफी मानी जाती हैं। लेकिन उन बेचारे कंपाउन्डरों के लिये नर्सिंग की योग्यतायें काफी नहीं मानी जा सकती। उनको मेट्रिक्युलेट होना ही चाहिये। भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने उनसे वायदा किया था कि तुम्हारी बात ठीक है, मैंने आदेश दे दिया है कि यह बंधन तोड़ दिया जायगा। लेकिन २८ जून के बाद आखिर एकाएक यह हो गया कि अगर उनमें से ५-१० आदमी खाना नहीं खावें और भूखे मर रहे हैं और अपनी आवाज सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं तो इससे कौनसा खतरा पैदा हो गया था या ऐसा कौनसा वातावरण पैदा होगया था कि जिससे ऐसा प्रयोग किया गया, दो दिन बाद १ तारीख को उन भूख हड़तालियों को आदेश दिया जाता है कि आप जहां पर खेमे डाले हुए हैं वहां से उठाकर सड़क के फुट पाथ से दूर किसी मैदान में ले जाओ और उनके इस आदेश का पालन किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने शायद ऐसा कहीं सुना होगा और मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना और न कहीं देखा कि रात को ११-३० बजे पुलिस की लोरी में बैठे हुए कुछ लोग जिलाधीश की इस आज्ञा का प्रचार कर रहे थे कि शहर में दफा १४४ लगाया गया है। रात को साढ़ा ग्यारह बजे लालटेन की रोशनी में दफा १४४ लगाया जाना कहां तक वाजिब है; यह सोचने की बात है ? मैंने तो ऐसा न कहीं देखा है न कभी सुना है। रात को साढ़ा ग्यारह बजे जो आज्ञा दी जाती है या एलान किया जाता है उसका पता प्रत्येक मनुष्य को अपने आप ही लग जाय, यह जरूरी नहीं है। और नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन जो कार्यक्रम निश्चित था उसके अनुसार रेल्वे के कारखाने के लोग और दूसरे लोग उन भूख हड़तालियों के केम्प में जाना चाहते थे। केम्प से उनका केवल ५०० गज का फासला था। तब पुलिस अधिकारी उनके पास आये और उन्हें यह बताया कि तुम वहां तक नहीं जा सकते। उन लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते, हम केवल भूख हड़तालियों के पास जाना चाहते हैं। उनके पास जाकर फिर अपने अपने घर चले जायेंगे। मैं सदन के सामने जो बात रखना चाहता हूं वह यह है कि जो ५०० गज का फासला था उसमें से ४७५ गज का फासला वे तय कर चुके थे, केवल २५ गज की दूरी कैंप से बाकी थी। उसी बीच में कौनसा तूफान आया या ५०० आदमी भूख हड़तालियों के पास चले जाते तो शहर में क्या बलवा होजाता कि उन पर लाठी चार्ज किया गया। उसके फलस्वरूप एक नहीं, दो नहीं बल्कि ६० आदमी घायल किये गये, दुकानों का सामान तोड़ा गया, आने जाने वालों पर लाठी चलाई गई, एक बुढ़िया जो अस्पताल में पट्टी बंधाने के लिये जा रही थी उसके सर पर लाठी मारी गई जिसको अपने नये घावों पर पट्टी बंधाने के लिये जाना पड़ा। इस प्रकार के लाठी चार्ज के बाद जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तब का आंखों देखा हाल आपको इस सदन का सदस्य होने के नाते सुनाना चाहता हूं। जो घायल लोग वापिस

जा रहे थे उनमें से ५–७ आदमियों में से जिनके ज्यादा चोटें आई थीं, उनमें से २ स्ट्रेचर पर जा रहे थे और ४ आदमी स्ट्रेचर के पीछे चल रहे थे। उनके साथ २–३ आदमी और थे जिनके हाथों में या और किसी जगह पट्टियें बंधी हुई थीं। जब वे उस कैंप के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एक नारा लगाया "भूख हड़ताली जिन्दाबाद" । उस जगह इस प्रकार के नारे लगाने की मनाही के लिये कोई हुक्म नहीं था; जिलाधीश की ओर से। पर पुलिस के अधिकारियों ने सिपाहियों को आदेश दिया। यह आंखों देखा हाल है, उन लोगों पर लाठी चार्ज करने का। बगैर किसी वार्निंग या सूचना दिये हुए लाठी चार्ज किया गया। और जब मैं जिला पुलिस अफसर के सामने यह कहने गया कि आप यह किस प्रकार का न्याय कर रहे हो तब वे पुलिसवालों से यह कह रहे थे कि आप रुक क्यों गये, हमला करते क्यों नहीं? यह बात मैंने अपने कानों से सुनी है। यह कौनसी बात है कि जहां पहले चेतावनी या सूचना ेनी चाहिये वहां पुलिस अधिकारी व जिला पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आप रुके क्यों, हमला क्यों नहीं किया? जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा किस हुक्म के अनुसार करना चाहते हैं तब उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने हुक्म जारी किया कि हम आपको दंगा करन क अपराध म, धारा १४४ तोड़ने के मातहत गिरफ्तार करते हैं।

ये वे घटनाएं हैं जिनका चित्र आज हमारे सामने है और जो मैंने अपनी आखों देखा है; वह मैंने जिक्र किया है। जो प्रस्ताव में रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि इतना बड़ा दुरुपयोग हो, अधिकार का और माननीय अध्यक्ष! राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान सरकार के पास प्रस्ताव आये हैं, जिम्मवार आदमियों की तरफ से पत्र आए हैं कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय और जहां तक मुझे विदित है राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने एक संस्था के सदस्य को आश्वासन भी दिया था कि इस सम्बन्ध में Judicia Enquiry होगी–परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

मैं आपके सामने ये वाकयात इस सदन का सदस्य होने के नाते, जिम्मेवारी के साथ रख रहा हूं और इसके सबूत देने को तैयार हूं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने अपनी आखों से देखा है।

माननीय अध्यक्ष! क्या आज आम लोगों के अधिकारों की इतनी सी कदर रह गई है? क्या आम रास्ते में चलने वाले नागरिकों की इतनी सी कदर रह गई है, क्या दुकानें लगाने वाले लोगों की इतनी सी कदर रह गई है कि एसा मौका आये तो बिना Warning दिये लाठी चार्ज का आर्डर दे दिया जाय! क्या वहां फौजी शासन होगया था कि कोई Warning नहीं दी गई और लाठी चार्ज कर दिया गया। दूसरी बार लाठी चार्ज किया गया तो मैं मौजूद था, कोई Warning नहीं दी गई। मैं फिर स मुख्य मंत्रीजी को इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि वे गौर से विचार करें। ये वे घटनाएं हैं जिनका इस प्रस्ताव से ताल्लुक है।

अब मैं किशनगढ़ की घटनाओं का जिक्र करूं। मैंने किशनगढ के सदस्य को इस सम्बन्ध में सुना, मुख्य मंत्रीजी के अनुभव सुने कि वहां पुलिस वालों के चोटें आईं और परिस्थिति काबू के बाहर होगई थी; जिससे स्थिति काबू में लाने के लिए गोली चलानी पड़ी। पर क्या मुख्य मंत्रीजी और सम्बन्धित सदस्य ने इस पर गौर किया है कि यह घटनाएं होती कैसे हैं? एक पर्चा निकला है, किसी एक आदमी की तरफ स नहीं, बल्कि पांच संगठनों द्वारा दस्तखत किया हुआ, कि हर साल ऐसा मेला किशनगढ़ में लगता है और वहां Mock fighting (दिखावे को लडाई) होती है; लड़ाई का दिखावा होता है, पत्थर भी फेंके जाते हैं, कभी कभी लकड़ी का व्यवहार भी किया जाता है; हर साल ऐसा होता आया है। हर साल रस्म अदाई होजाती है तो ढोल-लड़ाई का ढोल-बन्द कर दिया जाता है। यह परम्परा है, हमेशा से होता आया है। सही है, गलत है, ठीक है, बेठीक है कैसे भी हो, पर ऐसी परम्परा है। उस दिन यह हुआ कि जो सम्बन्धित पुलिस के अधिकारी थे उन्हें यह ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, उन्होंने माकूल इन्तजाम नहीं किया।

जिस समय यह मामला चल रहा था, ढोल को बन्द करने का आदेश नहीं दिया गया और दिखावे की लडाई के बीच में ५–७ पुलिस वालों को भेजा और ऐसी परिस्थिति पैदा कीगई कि जिसके बिगडने के अलावा और कोई उम्मीद ही नहीं थी। जैसा कि कहा गया है स्थिति बिगड़ने की हालत थी तो क्या मुख्य मंत्रीजी ने मालूम किया कि उस वक्त कितनी पुलिस वहां पर थी ऐसी सूरत में जान बूझ कर परिस्थिति को बिगडने देने का तरीका Provocative तरीका है। आज तक जो चीज होती आई वह गडबड़ी के रूप में नहीं आई, फिर इस साल क्या हुआ। इसकी वजह यह है कि पुलिस ने स्थिति का अन्दाज ठीक नहीं लगाया और बेरहमी से गोली चलाई और लाठी चार्ज किया।

क्या मुख्य मंत्रीजी ने जांच की है इस बारे में कि ऐसी हालत क्यों पैदा होगई। मैं यह नहीं कहता कि वहां गल्ती किसकी है, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस की ही गल्ती थी, पर सवाल इन्सान की जिंदगी का है। आप मान भले ही लें कि आपके अधिकारियों ने सब कुछ ठीक किया; पर आपके अधिकार, अधिकारियों की शानो शौकत और पुलिस से ज्यादा कीमत रखती है इन्सान की जिंदगी। इसलिये आप जांच करवा लीजिये और अगर किसी की गल्ती पाई जाय तो उसके खिलाफ Action लीजिये।

आप यह मत समझिये कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको सही बताना ही आपका काम है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है तो वह अपने आपको Guilty (जुर्मी) Plead करती है। इसलिये मैंने प्रस्ताव इस तरीके से पेश किया है कि जांच हो। इस प्रस्ताव के जरिये मैं यह भी मंशा रखता हूं कि आयन्दा भी Executiv के अधिकारों को काम में लाने के ऊपर पाबन्दी रखने के लिए ऐसी जांच हो ताकि अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पायें।

इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इसे एक मत से पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:-Motion moved.

"That this House is of the opinion that steps be taken by Rajasthan Government to institute an open judicial inquiry by a Judge of the High Court into the firing at Jodhpur and Kishangarh, on 2nd July 1952 and 2nd September 1952 respectively and punish the persons responsible for these Acts."

श्री ईश्वरीसिंह:--उपाध्यक्ष महोदय। मैं ई प्रस्ताव के बारे में जो कुछ मारी समझ है वा आपके सामने कुछ कहूंगा।

आज तो स्वराज्य बणग्वा में आपां सगला चाल रया हां के अठे दुनिया में स्वराज्य होजाय तो दुनियां में बहुत बड़ी तब्दीली होजाय। ई स्वराज्य सूं पहली जो राज हो बीं वगत अठे हमारा सीकर में एक इन्सपेक्टर हो, पुलिस को। वो शहर में पहरो रोज करतो। बीं विषय में कोई नागरिक सूं बींकी आंख ही। बींके एक इल्जाम चोरी को लगायो और रात का मार पीट करी। बीं बारा में सारा शहर में जोश फैलगो और हटताल (हड़ताल) करदी और बहुत बड़ो आन्दोलन खड़ो हुओ के ऐसी घटना क्यूं हुई।

श्री छोटूसिंह:--ऐसी भाषा में बोलें जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकें।

श्री उपाध्यक्ष:-ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं और इसी भाषा में बोल सकते हैं।

श्री ईश्वरीसिंह:--जो बातें में अर्ज कर रह्यो हूं आपके फायदे की बातां हैं। मारे अकेला के फायदे की कोई बात नहीं है। पहली आ बात थी कि राज को भय रहतो थो। अब अन्डे १६० मेम्बर अलग अलग जातियां रा आया हैं और आपस में एक दूसरा के विरोध की भावना है। पहली राज को डर रहतो हो। मगर अब राज को डर भी नहीं रयो है। पहली दुनिया केहती ही कि हक को राज है। यदि कोई जुल्म करतो तो ऊंके मुंह माते कालो तेल लगा कर शहर में उणरो जलसो निकाल दियो जावतो हो और हाथों में हथकड़ी डाल कर, कालो मुंडों बना कर, शहर में घुमा कर नौकरी सूं निकाल दियो जावतो हो। अब तो स्वराज है उणरो मायनो ओ है कि बिल्कुल इन्साफ री चीज को समर्थन करने की है; लेकिन अभी तो मैं यह देख रह्यो हूं कि कबड्डी खेलने वाला छोकरा की तरह सूं खेल हुवे हैं। वहां हार जीत की कोई जरूरत नहीं। न्याय और अन्याय की कोई जरुरत नहीं चाहे न्याय हो या अन्याय वहां तो कबड्डी में खलनेवालों के लिये हारने या जीतने का सवाल रहता है। अब जिस, प्रस्ताव में, न्याय की मांग है अगर सरकार की मर्जी न्याय करने की हो तो ऊं पर

गौर करे और न्याय की मर्जी न हो तो गौर नहीं करे। कम से कम ईं बात को पतो तो लगाणो चाहीजे कि चीज कांई है। ऊंकी जांच तो होणी चाईजे ताकि दुनिया ने संतोष होजावे कि जो कुछ कियो गयो वो न्याय छे या अन्याय छे। ईं बात की जरूरत होणी चाहीजे कि हां करणो को सवाल वे वठे "हां" करणो को चाहीजे और "ना" करण को वे जद "ना" करनो चाहीजे। में तो आ चाहूं हूं कि सुराज की भावना राखणी है तो बदले की भावना मत रखो। जो अच्छी बात वे वह भी ठुकरा दी जावे उनको मन्जूर करण सूं इन्कार कर दियो जावे आ बात तो कोई न्याय संगत नहीं कही जा सके है। जो दुनियां के हित की बात हो ऊंकी "हां" करे और दुनिया के अहित की बात हो ऊंके लिये "ना" करे। लेकिन आ चीज तो सबके सामने हित की चीज है कि जो भी बातें हों ऊंकी जांच हो जावे और मौतबर आदमी ऊंकी जांच कर ले तो दुनिया को संतोष हो जावेगा कि जांच हो चुकी और जो कुछ हुओ बेजा हो या ठीक हो। अब यह कहणो की लाठी चार्ज हुयो व गोली कान्ड हुयो वो ठीक हो। ऐसी बातां अफसर केवे तो आ ठीक बात नहीं। बहुत बड़ो मेलो मनायो जावे जिगमें लाठी चार्ज होजावे, ठीक है, फेर भी वठे जो कुछ हुवो ऊंकी जांच हो तो अच्छो है और जो कहीं अन्याय हुआ हो तो ऊंकी एलान करके बतलायो जावे। न्याय को नहीं होवणों अन्याय की चीज छे। में अतरो ही केहने बैठूं हूं।

श्री जसवन्तसिंह:–श्री उपाध्यक्ष, मैं दो शब्दों में इस प्रस्ताव का, जो मेरे माननीय मित्र श्री व्यासजी ने रखा है अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब से राजस्थान में पिछले ४ वर्षों से कांग्रेस की सरकार बनी है यह जानने के लिये एक नई बात होगी कि यहां पर कितने फाइरिंग आज तक हुए हैं। अनुभव यह है कि हर साल एक या दो फायरिंग पुलिस द्वारा मोब (Mob) पर किये गये हैं। जहां तक मेरे देखने और सुनने में आया है उन हुए फाइरिंग की जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये सरकार आगे नहीं आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारी उनको ऐसी सलाह देते मालूम होते हैं कि ऐसा करने से अधिकारियों के मोरल्स ठीक नहीं रहेंगे। जब पब्लिक की सरकार पब्लिक के हित क लिये बनी है तो इन बातों के लिये जुडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं की जाती? अभी हाल में जयपुर शहर में जनवरी के महिने में एक घटना हुई जिसमें बहुत से विद्यार्थी मारे गये; मगर फिर भी ओफिशियल इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट चुप हो गई। इसके बाद जोधपुर में जो नर्स और कम्पाउन्डरों पर घटना घटी है उसका विवरण मेरे मित्र ने आपके सामने रखा है और उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद किशनगढ़ में दूसरी बड़ी भारी घटना हुई उसका भी बड़ा भारी रहस्य है और जिसका विवरण श्री व्यासजी ने सदन के सामने रखा है।

किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी और वहां पर यह मेला सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, मगर अभी तक एक दिन भी ऐसा समय

नहीं आया कि जिससे इस प्रकार की घटना का सामना करना पड़े। परन्तु क्या बात हुई कि राजस्थान सरकार जिसके पास इतने बड़े साधन हैं और जो किशनगढ में रियासत क समय से ज्यादा अच्छा प्रबंध कर सकती थी फिर भी इसके लिये वह कुछ भी बन्दोबस्त नहीं कर सकी; जिसका नतीजा यह हुआ की बीसियों आदमी मारे गये। ऐसी घटना किशनगढ में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों से देखने को नहीं आई। मगर राजस्थान बनने के बाद और हमारी सरकार के पास इतने साधन होते हुए भी और यह जानकारी होते हुए भी कि हर साल इस प्रकार का मेला भरा जाता है सरकार ने कुछ प्रबन्ध नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि अगर हमारी सरकार जिम्मेदारी के साथ इसको अपने हाथ में लेती तो अवश्य इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी कराती। जैसा मैंने आपको अर्ज किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिये और हम उम्मेद करते हैं कि अब भी हमारी सरकार जो पब्लिक की सरकार है, इस मामले में, जहां पर पब्लिक की जिन्दगी और मौत का सवाल है, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करेगी। मेरे मित्र श्री व्यासजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने सारी बातें साधारणतः पेश की हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सरकारी बेन्चेज, अपनी प्रेस्टिज का खयाल न करके, जो गलती हुई है, उसको भविष्य में दूसरी जगह न होने देने के लिये जो इस प्रकार से बच्चों बुढ्ढों और नर्सों और कम्पाउन्डरों पर ऐसे हमले हुए हैं उनको आगे के लिये रोकने के लिये एक इन्क्वायरी बिठलाएगी। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, जो घटना घटी है, उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग को मंजूर करना चाहिये।

श्री छोटूसिंह:--उपाध्यक्ष महोदय, जिस सुन्दर तरीके से मेरे माननीय सदस्य, मूवर ने जोधपुर की हालत का बयान किया है यह तो मैं कहे वगैर नहीं रह सकता कि वह तरीका बहुत ही सुन्दर है और जो लोग वास्तव में इन बातों की जानकारी से दूर हैं उनके साधारण तरीके से व आसानी से दिमाग में इस बात को बिठलाई जा सकती है। लेकिन फेक्ट्स हमेशा फेक्ट्स रहते हैं। सच्ची बातों को छुपाया नहीं जा सकता है। जो कुछ भी उन दिनों हुवा और उसका नतीजा निकला है वह जनता के सामने है और इस बात को सारा सदन मानेगा और सारी जनता मानेगी कि जिस सुन्दर तरीके से राजस्थान सरकार ने जोधपुर में जो वकुआ हुआ और जो बहुत ही खतरनाक घटना घटनेवाली थी उसको बड़ी चतुरता से दूर किया और फाइरिंग खाली हवा में करके वहां की हालत को, जो बिगड़ रही थी, बिगड़ने से एवोइड किया और उसे एबनोर्मल कंडिशन पर ले आए। आप जनते हैं कि कोई भी सरकार इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती कि जो सिविल सर्विसेज हैं और खास कर कम्पाउन्डर और नर्सेज जैसी एसेन्शियल सर्विसेज ह।

इस तरह से अनुशासन भंग करके और हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करके हजारों और लाखों की तादाद में जो रोगी भाई हैं जो कि जनता के अन्दर दुःखी लोग हैं उनको उनकी सर्विसेज से अलग रखा जाय। इस तरीके से वे आज अपनी उचित या अनुचित मांग के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर या प्रेशर टेकटिक्स इस्तेमाल में लाते हैं। मैं समझता हूं कि जोधपुर के अन्दर सब आदमियों ने इस बात को माना है कि भूख हड़ताल का प्रश्न होता या ५-६ आदमी भूख हड़ताल करते होते तो फाइरिंग का सवाल पैदा नहीं होता, लाठी चार्ज का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यह सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं और खुद माननीय सदस्य यह बातें कह चुके हैं कि किस तरह से हिंसात्मक तरीके अपनाये हुए थे। उसको कुछ लोग पोलिटिकल शक्ल देना चाहते थे। उन्होंने अपने पोलिटिकल एन्ड्स मीट (Political ends meet) करने के लिये और अपनी संस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए जो नर्सेज और कम्पाउन्डर्स थे उनको भड़काया गया। वह इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार वहां बलवा हो जाय। मैं समझता हूं कि जोधपुर के अन्दर जिस तरीके से सिचुएशन को एवॉइड किया गया वह एक सुन्दर तरीका था। मैं इस बात को कहे बगैर नहीं रह सकता कि राजस्थान सरकार ने उस पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से टेकल किया है।

दूसरी जो फाइरिंग की बात कही जाती है, उसके लिए बड़े अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वयं माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि वहां पत्थर फेंके जाते हैं, लाठी भी चल जाती है और लोगों के लग भी जाती हैं, फिर भी वह कहते हैं कि इस बात की पोसीबिलिटी (possibility) नहीं है कि वहां पत्थर फेंके गये, लाठी चली और सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है कि उसको काबू में लाने के लिए सरकार कोई कदम उठाये; यह नॉन पोलीटिकल मामला है। इस बात को विरोधी बेन्चेज पर जो साथी बैठे हुए हैं उन्होंने भी माना है कि पोलीटिक्स से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। अफशोस की बात है कि हमारे देश के अन्दर ऐसे मेले भी होते हैं, जहां मेलों के अन्दर पत्थर भी फेंकते हैं और इससे ज्यादा अफशोस की बात यह है कि पत्थर फेंकने के साथ यह दुर्घटना घट जाती है। यह अफशोस की बात है कि पत्थर की बात के साथ किशनगढ़ के अन्दर फाइरिंग हुआ। निश्चित रूप से फाइरिंग हुआ, लेकिन वह फाइरिंग कब हुआ? माननीय सदस्य खुद यह मानते हैं कि पत्थर फेंक रहे थे, लाठी चल रही थी बदकिस्मती से ढोल का डंका नहीं बजता है, ढोल का डंका बजाने वाला सो जाता है और कितने ही आदमियों की जान खतरे में आजाती है। उस नान-पोलीटिकल सिचुएशन को हमारी सरकार ने अच्छे तरीके से, होशियारी से, हस्तक्षेप करके काबू में लिया। वहां लाठियां चल रही थीं और वे आदमियों की जानें भी ले सकते थे। ऐसा किये बगैर उस पर कन्ट्रोल किया गया, और कन्ट्रोल करने में अगर फाईरिंग करना पड़ा तो वह नियमित था, वह कानून के तहत था, इसमें कोई दो राय नहीं होसकती है। मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा, मूवर महोदय से

कि वह कम से कम अराजनैतिक बात में कोई राजनैतिक बात नहीं लाते । आज इस तरीके से मोब मेन्टेलिटी (mob mentality) भड़काई जाती है । वह भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि कांग्रेस का वहां कोई पोलीटिकल एम नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेन्ट को कोई आवश्यकता नहीं थी कि बगैर बात ही मोब पर फायरिंग करे। यह एक साधारण स्थिति का आदमी भी जानता है कि कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि उसे फायरिंग जैसी गलत चीज करनी पड़े और वह कभी भी अधिक मजबूर हुए बिना फाइरिंग करने को तैयार नहीं होगी । इसलिए मैं समझता हूं कि किशनगढ़ के अन्दर जो फाइरिंग हुआ, वह बिल्कुल उचित था।

अब रहा सवाल जुडिशियल एन्क्वायरी का। यह सैद्धान्तिक तरीके पर प्रस्ताव के रूप में बहुत सुन्दर सा लगता है। सरकार जुडीशियल इन्क्वायरी कर क्यों नहीं लेती ? कितनी सुन्दर बात लगती है देखने और कहने में; लेकिन तथ्य हमारे सामने है कि पत्थर फैंके, लाठियें चलीं, ढोल का डंका नहीं बजा और इस कदर पोजिशन खराब हुई और बिगड़ी कि उसके अन्दर सरकार को गोलियां भी चलानी पड़ीं । उसके अन्दर एग्जिक्युटिव एन्क्वायरी हुई तो फिर क्या आवश्यकता रह जाती है जुडीशियल एन्क्वायरी की। अगर इस तरह से जुडीशियल एन्क्वायरी हर बात की होने लगी तो जो अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस है वह बिल्कुल इस जुडीशियल एन्क्वायरी की वजह से, लॉ एन्ड ओर्डर के प्रोब्लम पर किसी तरह काबू नहीं पा सकते। तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि लां एन्ड आर्डर के हल नहीं किये जाएं और बहुत से, सैकड़ों भाई हैं जो कि इस लॉ एन्ड आर्डर के प्रोब्लेम के शिकार हो रहे हैं उनको इससे वंचित रखा जाय। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेन्ट ने किशनगढ़ में जो फायरिंग किया है वह अनजस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने विरोधी दल की तरफ से जयपुर की बात भी कही। किस्मत या बदकिस्मत से मैं भी उन दिनों यहां था और किस तरीके से वह घटना हुई, किस तरीके से हिंसात्मक प्रवृतियों को प्रेरणा मिली, किस तरीक से जयपुर में सुबह देखा गया कि ऐसा मालूम होता था कि सन् ४७ फिर आगया है, लां एन्ड आर्डर है या नहीं; कुछ पता ही नहीं चलता था। एक अजीबोगरीब व्यवस्था थी। सुबह-सुबह एक मोटर से एलान हो रहा था कि जो कोई भी दूकान खोलेगा उसको सजा दी जायगी और जिन लोगों ने दुकानें बन्द नहीं की थी उनकी दुकानें जबरदस्ती से बन्द करवाई गईं और स्थिति यहां तक पहुंची कि कुछ लोग किसीकी चोटी देखते थे तथा कुछ लोग और कुछ देख लेते थे। कहीं छोटी- मोटी मारपीट की घटनाएं भी हो रही थीं। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि वह किस उपलक्ष में हो रहा था, क्योंकि वह ऐसी बात है कि जो मेरे साथियों को अच्छी नहीं लगेगी । घटना घटी तब कौन २ कहां था, यह दुनिया से कोई अपरिचित बात नहीं है । इस बात की ज्यादा यहां कहन की आवश्यकता नहीं रही। मैं उस दिन थ्रू-आउट बाजार में रहा। इस सम्बन्ध में लोग किस कदर से परेशान थे। व कह रहे थे कि क्या हम समझ लें कि राजस्थान में कोई सरकार है ही नहीं और चन्द गुन्डे

शहर में गुन्डापन फैला रहे हैं और वह लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेन्ट इस बात का इन्तजाम करती है। उस सम्बन्ध में प्रोसेशन पर बान लगा, फिर भी उनको यह इजाजत दी गई थी कि व छोटी चौपड़ तक आयें और शान्त तरीके से इस प्रोसेशन को डिस्पर्स करदें । वह प्रोसेशन वहां डिस्पर्स नहीं किया गया और हिंसात्मक प्रवृत्तियां धारण कीगई, पत्थर फेंकना शुरू हुआ। पुलिस अधिकारी भी डरन लगे कि कहीं स्थिति कन्ट्रोल से बाहर नहीं होजाय तो उन्हें मजबूरी हालत में फायरिंग करना पड़ा। उस हालत में एक दो डेथ्स (deaths) भी हुई । हो सकता है कि मासूम भाइयों की डेथ्स होगई हों, क्योंकि बहुत से शरीफ आदमी भी इस क शिकार हो जाते ह। मैं जब नौ, साढ़े नौ बजे बाजार के अन्दर बाद में घूम रहा था तो मैंने दखा और सुना कि लोग कह रह थे कि गवर्नमन्ट यह एक्शन बारह साढ़ह बारह बजे ले लेती तो शायद यह नौबत नहीं आती। गवर्नमेन्ट ने इतना लेटिट्यूड दिया, जिसका यह परिणाम है।

मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विरोधी दल के भाइयों से कि इस तरह से लॉ एन्ड ऑर्डर के ब्लिम ह, जो हिंसात्मक तत्व हैं, उनको दबाने की आवश्यकता है। वे यहां जुडिशियल न्क्वायरी र हाईकोर्ट के जजों के नाम पर दबाने की कोशिश न ीं करें? उन अधिकारियों को दबाने की कोशिश न की जाय तो अच्छा । सलिए जो हिंसात्मक तत्व हैं, उनको दबाने के लिए, दोनों पक्षों को एक हो जाना चाहिए।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, हम लोगों को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी सरकार आज लॉ एन्ड ओर्डर, एक मामूली स्थान पर भी बगैर गोली चलाये कायम नहीं रख सकती । मैं आपसे यह निवेदन करूं कि पत्थर फेंके जाते हैं, अक्सर फेंके जाते हैं, क्या पत्थर फेंकने के बाद मोब को बगर गोली चलाये काबू नहीं किया जा सकता। हमारे पुलिस के अफसर या सरकारी अफसर यह कह सकते हैं कि हमारी समझ में वह स्थिति ऐसी थी कि गोली चलाये बगैर काम नहीं चल सकता था । ठीक ह, हमारा तो यह मानना है कि अफसर लोग जिस समय क्रोध में होते ह, उनकी नासमझी होसकती है। आवेश में आकर वे ऐसा कर सकते हैं। उस समय सोचना आवश्यक हो सकता है कि वाकई जैसी स्थिति सरकारी अफसर समझत हैं वैसी स्थिति वास्तव में थी या नहीं ? इस बात का निर्णय सरकारी अफसर नहीं कर सकत। गवर्नमेन्ट के अफसर अपनी खामी को कभी अनुभव नहीं कर सकत। वास्तव में स्थिति क्या थी इस बात का जुडिशियरी की वह ओथोरिटी निणय कर सकती है जो निष्पक्ष हो। थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि सरकारी अफसरों ने जो कुछ किया वह ठीक है, तो गोडसे के मुकद्दमें पर ३६ लाख रुपये खर्च करना क्यों आवश्यक समझा गया, जबकि उसी वक्त लोगों ने उसको पकड़ लिया था ऐसा होने पर भी उस मुकद्दमें पर लाखों रुपया खर्च क्यों करना पड़ा ? उसी-वक्त पकड़ लिया गया था तो लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। वास्तव में जज लोगों को सोचने का तरीका एक दूसरी तरह का होता है वे किसी चीज को दूसरी निगाह से दखते हैं और जज लोग जो करते हैं उस पर जनता का

विश्वास होता है। मेरी समझ में जो यह मांग रखी गई है कि इस मामले की हाईकोर्ट के जजेज इन्क्वायरी करें, इसको मान लेना चाहिये। अंग्रेजों न भी कभी इस तरह की बातों को नहीं ठुकराया। उन्होंने भी जजेज के जरिय जांच करवाई। आज हमारी सरकार बगैर गोली चलाये जन–समुदाय पर काबू नहीं पा सकती, छात्रों पर काबू नहीं रख सकती तो वह सरकार कुर्सियों पर बैठ रहन योग्य कभी नहीं कही जा सकती। में आपको यह बता दूं कि जिस प्रकार कोई अफसर यदि यह कहता है कि इस किसान को बेदखल न करो और अगर जमींदार उसक कहने को नहीं मानता है और इस प्रकार यदि दोनों के लड़ाई चलती है तो कलेक्टर, तहसीलदार आदि अपने पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि वह जमींदार को नहीं समझा सकता। इसी प्रकार जो सरकार छोटे छोट कामों को बगैर गोली चलाये नहीं कर सकती तो उसको इस प्रकार की जांच करवाने की जरूरत आयगी। यदि इस प्रकार की जांच न करवाई गयी तो आयन्दा अफसर अपनी मनमानी करने में कमी नहीं चूकेंगे। वे आयन्दा सावधान रहें, इसलिये भी जांच का किया जाना आवश्यक है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें जोधपुर और किशनगढ़ शहरों में हाल ही में जो गोलीकान्ड हुआ है उसक सम्बन्ध में जुडिशियरी द्वारा, एक हाईकोर्ट क जज द्वारा जांच किय जाने की मांग की गई ह। म समझता था कि इस प्रस्ताव को लेकर कोई भी वाद विवाद इस हाउस में नहीं होगा लेकिन जो स्थिति हमारे सामने मौजूद है उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस ओर की गई कोई भी मांग हो, कितना ही औचित्य उसक पीछे क्यों न हो, सरकार हमारे किसी भी सुझाव को मानने को तैयार नहीं। मुझे दुःख है कि जो नसीहत और जो सलाह और आ श हमें समय समय पर यहां बैठ हुए राजपक्ष की ओर स मिलत हैं, अगर वे स्वयं उस पर अमल करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इस हाउस में ऐसी परम्परायें कायम हो सकती हैं जिससे राजस्थान का अधिक से अधिक हित हो सकता है। केवल हम इस हाउस के इस ओर बैठे हुए हैं और आप राजपक्ष की ओर बैठ हुए हैं, इसक मायन यह नहीं कि कोई भी प्रस्ताव जो विरोधी पक्ष की ओर स किया गया हो, आप नहीं मानें। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किशनगढ़ में फायरिंग हुआ। मैं स्वयं इस फायरिंग के हालात से परिचित नहीं; इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना पसन्द नहीं करता। परन्तु जोधपुर के फायरिंग के हालात से मैं वाकफियत रखता हूं। अभी एक साथी राजपक्ष की ओर से बोले थे। उन्होंने सरकार को एक बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है और व क्यों न देते, उनका काम ही है अपने साथियों को सर्टिफिकेट देने का। जोधपुर के मामले का मैंने हर दृष्टि स अध्ययन किया। जिस समय सारा कान्ड होने चला था उस समय मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इस कान्ड को समझूं और मैंने इसको समझने का अधिक से अधिक प्रयत्न किया और मुख्य मंत्रीजी से सम्बन्ध भी स्थापित किया और शहर में भूख हड़तालियों द्वारा भी यह जानने का प्रयास, कोशिश की थी कि यह सारा-मामला क्यों चलाया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि

वे अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें कि यह सारा कान्ड सरकारी अयोग्यता के कारण हुआ। नर्सों और कम्पाउन्डरों के प्रश्न को आप शुरू स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ कुछ वादे किये गये, वे वादे चुनाव के मौके पर किये गये थे, उनके वोट हासिल करने के लिए। मैंने बीसियों मर्तबा आपसे निवेदन किया है कि महरबानी करके राजनीति में सर्विस के मामलों को शरीक न होने दें, परन्तु यह वोटों का खतरा समय समय पर हमारे सामने खड़ा होता रहता है; इसी कारण सारे सिद्धान्तों को तिलान्जली देने के लिए हम तैयार होजाते हैं।

२६ दिसम्बर का यह वाका है जबकि आम चुनाव जल्दी ही होने वाले थे। उन्हीं दिनों में नर्सों और कम्पाउन्डरों ने भूख हड़ताल की थी। शहर में बढ़ते हुए इस आन्दोलन को रोकने के लिए और अपने वोटों को सुरक्षित रखने के लिए इन कम्पाउन्डरों और नर्सों से कुछ वादे किये गये थे, उनस यह कहा गया था कि मेट्रिकुलेशन की पाबन्दी खत्म करदी जायगी, उनको चिन्ता नहीं करनी चाहिये और बाकी दूसरी मांगें भी पूरी होजायंगी। उनके लिए जो ग्रेड मुकर्रर किये गये हैं उनमें उनका फिक्सेशन कर दिया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब वादे चुनावों के पहले किये गये थे। चुनाव होने क पश्चात् उनको पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? चुनावों के पहले जो वादे कर सकते थे उनको वे चुनावों के पश्चात् पूरा क्यों नहीं कर सके, यह बातें वे ही बता सकते हैं जो इस तरह के वादे करके अपने वादे से मुकर गये। चुनावों के बाद जब नर्सों और कम्पाउन्डरों ने देखा कि उनका फिक्सेशन नहीं हुआ तो उनमें एक प्रकार की निराशा व्याप्त होगई, तो उन्होंने भूख हड़ताल का सहारा लिया। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से जो कहना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में, वह यह है कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं सरकारी सर्विसेज में भूख हड़ताल को प्रोत्साहन देना नहीं चाहता; यह समझते हुए कि यह खतरनाक औजार है। परन्तु इस औजार का आविष्कार करने वाले आप ही सज्जन हैं। जब आप लोगों पर राजराज की जिम्मेवारियां नहीं थीं तो आप भी लोगों को भडकाने के लिए इसी औजार का प्रयोग किया करते थे। उसका नतीजा अब आप और हम सबको भुगतना पड रहा है। भूख हड़ताल हुई, काफी उग्र रूप उसने धारण कर लिया। हमने सरकार से मांग की कि जहां तक हम समझ पाये हैं, नर्सों और कम्पाउन्डरों की वेतन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था हुई है, जो उनकी योग्यता के सम्बन्ध में निर्णय हुए हैं, यदि निष्पक्षता से देखा जाय तो उनके लिए मेट्रिक्युलेशन की योग्यता आवश्यक नहीं है और उसे हटा देना चाहिये।

ठीक ही कहा था मेरे साथी एच० के० व्यास ने कि जब राज्य के ऊंचे से ऊंचे ओहदों के लिए आपको मेट्रिक्युशन की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, जब मिनिस्टर लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, बगैर मैट्रिक्युलेट हुए, जब कई सज्जन सरकारी विभाग के अध्यक्ष बन सकते हैं तो अन्य अन्य कामों म भी इस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस ईमानदारी स कहा जा सकता है कि नर्सेज और कम्पाउन्डरों के लिए इस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है।

श्री किशनलाल शाह:—ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर सर।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-I do not think that any point of order arises.

श्री किशनलाल शाह:—अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पोइन्ट ओफ ओर्डर मांगा है तो मुझ क्यों नहीं बोलने दिया जाता। माननीय सदस्य को चाहिए कि वे बोलने दें।

जो हाउस के सामने रिजोल्युशन है वह किशनगढ और जोधपुर में फाइरिंग के सम्बन्ध में है और नर्सेज और कम्पाउन्डर्स के औचित्य और अनौचित्य का सवाल पैदा ही नहीं होता। उस मौके पर, उस अवसर पर क्या ऐसे कारण हुए कि यह फाइरिंग का मौका आया, इस बात पर हमें सोचना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जो कहा गया है वह मिस्चिवियस है और इररिलेवेन्ट है।

श्री अवनिकुमार:–The language used is unparliamentary.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think if we have to maintain dignity and decorum in this House, such practices should be abolished for all time; otherwise we shall be compelled to take very unpleasant decision.

श्री उपाध्यक्ष:—This is unparliamentary no doubt and the point of order does not arise. Mr. Modi will resume his speech.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-When you have used the word "unparlia mentary", I request him to withdraw the word.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–He should withdraw his words.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-It follows, Sir, and it is high time that proper and dignified traditions were established in the House. Even some time ago an unprliamentary word was used in this House and I asked for its withdrawal, but I was not heeded. But if such things are not taken notice of, I submit, Sir, that there cannot be any hope for healthy conventions being established in connection with our work in the House.

श्री उपाध्यक्ष:—Please withdraw.

(विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

श्री किशनलाल शाह:—It that is the ruling of the chair I am repared to withdraw, but if my point of order is not........

श्री उपाध्यक्ष:—No speech—No speech.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस हाउस में यह एक पद्धति सी होगई है कि जब कोई भी सदस्य कोई काम की बात यहां कहने के लिए खड़ा होता है तो राजपक्ष के कुछ सदस्यों को वह बात अप्रिय लगती है और ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है कि वह कोई भी बात अच्छी तरह से नहीं रख पाता है। मुझे इसका दुःख है। मैं हाउस के नेता से निवेदन करूंगा कि वे राजपक्ष के लोगों से इस बात के लिए कहें कि वे हम काम की बात करने दें।

मैं यह निवेदन कर रहा था इसलिये कि राजपक्ष के एक साथी ने सरकार की उस चतुराई पर एक सर्टिफिकेट दिया कि नर्सेज और कम्पाउन्डरों की हड़ताल के सिलसिले में फाइरिंग हुआ उसे उन्होंने बड़ी चतुराई से सम्हाला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह चतुराई की बात नहीं थी, वह सर्टिफिकेट देने की बात नहीं थी, वह तो नितान्त अयोग्यता की बात थी। वह स्थिति इतनी मुश्किल होगई कि लाठी चार्ज हुआ और जैसा कि मेरे साथी श्री एच. के व्यास ने कहा कि बड़ी बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, ठीक है। यह बात हम किसी विदेशी हुकूमत के लिए कह सकते थे, किन्तु आज तो हमारे भाई ही हकूमत कर रहे हैं, और हमें कहा जाता है कि हम स्वराज्य के लाने वाले हैं। हमारे ही भाइयों पर लाठियां चलाई जायं और इस पर कभी गौर किया गया कि क्या ऐसा कारण पैदा होगया कि लाठी चलाना और गोली चलाना उपयुक्त या आवश्यक था। जब ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है तो हमें कहा जाता है कि आप लॉ एन्ड ऑर्डर को भंग करना चाहते हैं, सरकार पर लान्छन लगाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सरकार पर लान्छन नहीं लगाना चाहते, किन्तु हम चाहते हैं कि जो लोग सत्तारूढ हैं, वे जनता को सही समझें और जनता उन्हें सही समझे, वे जनता के सामने सही रूप में आएं। यदि सरकार ऐसे मामलों में जांच करवाए और सही तथ्य जनता के सामन रखे तो इसमें सरकार की इज्जत चौगुनी बढ़ेगी। सरकार के लिए यह सराहना की बात होगी और जनता में भी सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा। लेकिन ऐसी बातें जब इस सदन में रखी जाती हैं तो कहा जाता है कि लॉ एन्ड ऑर्डर को आप कायम नहीं रखना चाहते। जब ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है तो हमें यह सुनने को मिलता है कि आपने प्रस्ताव सुन्दर रखा है किन्तु इसके पीछे जहर छिपा है और उसकी कोई उपयुक्तता मालूम नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को गौर से देखिये, आप किसी भी प्रस्ताव को गौर से देखिये। क्या आपने कभी उस पर सोचा है ? मैं एक सहयोगी के नाते यह कहना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं हमारी बात को, अपनी ताकत के आवेश में मानना पसन्द न करें, लेकिन यह अमानवीय शक्ति अधिक वोटों का बल है, हमेशा नहीं टिकती और बदलती रहती है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको जनमत के सामने जवाब देना पड़ेगा। जब जब आपके सामने मांग रखी जाती है, केवल निष्पक्ष-जांच

के लिए, तो आप तैयार नहीं होते उस बात को स्वीकार करने क लिए, सीधी सादी बात को मंजूर करने के लिए। हो सकता है कि आपके ख्याल से यह फाइरिंग ठीक था। मैं यह नहीं कहता कि यह ठीक था या नहीं; किन्तु मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां जरूर हैं जिनकी इन्क्वायरी की जानी चाहिए। जब जनता की ओर से मांग की जाय, जनता के प्रतिनिधियों की ओर से मांग की जाय, एक निष्पक्ष जांच के लिए, तो आपको इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिना किसी हुज्जत के और बिना किसी बहस के, हमें तैयार होना चाहिए, इस जनता की मांग को कबूल करने के लिए; ताकि सरकार में जनता का विश्वास बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि जांच से यह सिद्ध हो जावेगा कि फाइरिंग आवश्यक तथा उचित था तो इससे सरकार का मान बढ़ेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि जो फाइरिंग किया गया था वह बे-बुनियाद था, तो सरकारी अधिकारियों मालूम होगा कि सरकार भी अनुचित काम में हमारा साथ नहीं देगी और अपने किय हुए कामों का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बस इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ आसन ग्रहण करता हूं।

श्री किशनलाल शाह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी किशनगढ़ और जोधपुर में हुए फाइरिंग केसिलसिले में जो प्रस्ताव सदन के सामने है उस पर कुछ ही अलोचनाएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय मैं भी अपना दावा रखता कि दोनों ही जगह की फाइरिंग के सिलसिले में थोड़ी जानकारी मुझे भी है औरजहां तक जोधपुर फाइरिंग का प्रश्न है कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के बारे में जो विरोधी दल के उपनेता ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने आम चुनाव के सिलसिले में जो वायदा किया था उसको पूरा करने क्षमता उनमें नहीं थी तो वायदा किया ही क्यों गया। मैं इस प्रश्न को इररेलेवेन्ट और इनएडमिसिबल समझता हुआ कहूंगा कि यदि वे वायदे थे या नहीं थे तो भी उनका उपचुनाव के समय राजनैतिक शोषण किया गया और उसके लिये वे जिम्मेवार हैं जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं और उसके पीछे कम्युनिस्टिक टैक्टिक्स थी; जिसकी वजह से दूसरों की बात का शेषण किया गया और कांग्रेस को बदनाम किया गया इसलिये कि जिससे उपचुनाव में फायदा उठाया जासके।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उप-चुनाव तो इससे पहले ही हो गये थे।

श्री किशनलाल (भाषण जारी रखते हुए):—इसी प्रकार की हालत किशनगढ़ भी हुई। जब मोब (Mob) सामने आता है तो उस पर काबू करने के लिये साधन काम में लाने पड़ते हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि जनता के फायदे के लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी सरकार ने गोली चलवाई है तो क्यों नहीं इतने ऊंचे वकील होते हुए अदालत में दावा करते। यदि आपके पास काफी वजूहात हैं तो आप को इसके लिये

सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इजाजत लेने की जरूरत है तो गवर्नमेन्ट आपको अदालत में जाने की इजाजत देगी। जब आपके लिये न्यायालय का रास्ता खुला है तो फिर क्यों हाई कोर्ट के जज द्वारा ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराने की मांग की जाती है? जनता की भलाई की बात कहकर पीछे से छुरा भोंकने का प्रयत्न क्यों करते हैं? लेकिन कांग्रेस की पराजय से जिनका प्रादुर्भाव होता है उनका फायदा ऐसी ही बातों से होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव के पीछे वह भावना नहीं है जिससे यह लाया गया है। इसमें कांग्रेस को बदनाम करने की भावना है और जब मौका आता है तब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को अमान्य करार दिया जाय और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, काफी बहस हुई इस प्रस्ताव पर और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ उन सब बातों पर जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने कहीं। मुझे अधिक आश्चर्य हुआ उन बातों पर जो विरोधी दल के नेता और उपनेता ने कहीं। मुझे संतोष होता यदि विरोधी दल के नेता और उपनेता अपनी बात को कह कर चले नहीं जाते और कृपा करके मेरी इन बातों को सुनते । प्रस्तावक महोदय कुछ घटनाओं को लेकर.......

श्री कानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, उपनेता मौजूद हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैंने उन्हें आते हुए देख लिया।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–As soon as I heard you speaking I hastened to return.

श्री टीकाराम पालीवाल:–I am grateful to you and will be more grateful if you have the courtesy to hear me.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–By all means. Otherwise why I should have come.

श्री टीकाराम पालीवाल (भाषण जारी रखते हुए):–मैं निवेदन कर रहा था कि उन दोनों घटनाओं को लेकर बहुत सी बातें कही गई। मैंने निवेदन किया था कि प्रस्तावक महोदय ने जो कुछ कहा उस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति के अनुसार उनकी ट्रेनिंग के अनुसार व उनके कार्यक्रम के अनुसार वे यही कह सकते थे, जो उन्होंने कहा। लेकिन मैं यह मानता था कि विरोधीदल के नेता और उपनेता, जिनकी स्थिति प्रस्तावक महोदय की स्थिति से बहुत भिन्न है, इस प्रस्ताव पर अधिक जिम्मेदारी और अधिक गंभीरता से बोलेंगे। मुझे खेद है अध्यक्ष महोदय, कि इतनी जिम्मेदारी की चीज मैंने देखी नहीं उनके भाषणों में। यह मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूं।

किशनगढ़ की कई घटनाओं की चर्चा की गई विरोधी दल के नेता ने उन बातों का जिक्र किया जिनका कोई जिक्र इस प्रस्ताव में नहीं है। उस पर मैं दो शब्द कहूंगा, हालां कि मेरा कहना इतना प्रिय नहीं।

किशनगढ़ मे फायरिंग होने के बारे में प्रस्तावक महोदय ने तो बहुत कुछ कहा यह भी कहा कि जो कुछ एक्शन लिया गया वह अनकाल्डफोर था। पत्थर फेंके गये, लाठियां चलाई गई, ऐसा तो हमेशा का रिवाज है, रिवाज के तौर पर होने देना चाहिये था, पहले तो कभी इस अवसर पर गोलियां नहीं चलाई गई। फिर इस बार गोलियां क्यों चलाई गई; ये सारी बातें उनके भाषण की भूमिका में रहीं। विरोधी दल के नेता उनसे भी एक कदम और आगे गये और कहा कि इसमें एक रहस्य है। मैं पसन्द करता यदि वे उस रहस्य को सामने रखते। मैंने भी एक रहस्य सुना है, नहीं मालूम वे उसीको रेफर करते हैं या और किसीको। किशनगढ़ में एक मेला हुआ करता है। वह प्रतिवर्ष होता है और बहुत दिनों से होता है और यह भी मालूम हुआ है कि वहां पर प्रायः पत्थर फेंकने आदि की घटनाएं हुआ करती हैं। पर इस बार कुछ ज्यादा हुआ। यह चीज मेले के रिवाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि दो दलों में बहुत मतभेद होगया और दलों में मुठभेड़ होगई, जिससे बहुत से लोगों के चोटें आईं और मामला यहीं तक नहीं रहा किन्तु आगे बढ़ा और कई दूकानें लूट ली गईं व बाजार लूटा जाने लगा और आग लगने के घटनाएं होने लगीं। इस हद तक जब नौबत आगई तब पुलिस के लिये जरूरी होगया कि वह फोर्स काम में लावे। उन्हें वारनिंग दी गई। फिर कानून के अनुसार फाईरिंग का ओर्डर दिया गया। यह सही घटना है, लेकिन इसकी तह में कोई दूसरी चीज थी जसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा।

इसके साथ विरोधी दल के नेता ने कहा कि वहां कोई रहस्य था। पर मैं नहीं समझ सका कि किस रहस्य की ओर उन्होंने संकेत किया है। मेरे पास सुनी हुई कुछ बातें हैं जो वास्तव में कुछ रहस्य की ओर संकेत करती हैं। दो चीजें सुनने में आई हैं। पहली तो यह कि इस बार वहां Communist influence कुछ ज्यादा काम करने लगा और दुकानें आदि लूटने का जो प्रयास बना वह इसी Instigation का परिणाम था; जो पहले वहां नहीं था। कुछ दिनों से वहां Communist influence बढ़ा। दूसरी बात और सुनी गई, जो बहुत संभव है, सही हो सकती है। मेरे पास पक्के प्रमाण तो नहीं हैं पर सारी घटना को सुनने से ऐसा मालूम होता है कि उसमें तथ्य होगा।

आपको मालूम है कि किशनगढ़ में उपचुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को बल लगाना पड़ा। विरोधी तत्वों ने, जिनमें सामन्ती तत्व, कम्युनिस्ट तत्व आदि सम्मिलित थें, मिल कर बल लगाया।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान निकाला था कि दोनोंमें से एक भी उम्मीदवार को हम इस काबिल नहीं समझते कि किसीको वोट दिए जायं। आप चाहें तो उस पर्चे का मुलाहिजा कर सकते हैं।

श्री किशनलाल शाह:—यह तो कम्युनिस्टों का धोखा है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—पर्चा दूसरी चीज है। मेरे पास ऐसी information हैं, letters intercept किये गये हैं उनसे यह बात साफ जाहिर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—आप इस हाउस की टेबल पर पेश कीजिये—मैं चेलेंज करता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनसे मुझे मालूम हुआ है कि कम्युनिस्ट पर्चे कुछ और निकालते थे पर अन्दर बैठ २ और तय्यारी करते थे।

फिर भी कांग्रेस की जीत हुई इससे कुछ क्षेत्रों में खिसियान पैदा हुई। किशनगढ़ के लोगों ने, जिन्होंने कांग्रेस को मदद दी उनसे भी लोगों को नाराजी हुई। ऐसे लोगों ने यह देखा कि रोजाना जो मेला होता है उसको एक औजार बनाया जाय, बहाना बनाया जाय और इस प्रकार यह घटना घटी। किसी भी कारण से ऐसा हुआ हो किन्ही न उकसाया हो पर जब एक नाजुक स्थिति बन जाती है तो मौके के अफसरों के लिए आवश्यक था कि वहां के जन साधारण की रक्षा के लिए मेले में आए हुए लोगों की रक्षा के लिए और बाजार की Property की रक्षा के लिए कार्यवाही की जाय और ऐसा किया गया। अगर वह एक्शन नहीं लिया जाता तो जो नुकसान हुआ उससे कितना ही गुना अधिक नुकसान होता, जो जानें उनसे गई कितनी ही अधिक जानें जातीं। इस सम्बन्ध में कानून के माफिक इन्क्वायरी की गई।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Has the result of the enquiry been published for general information?

श्री टीकाराम पालीवाल:—It was not necessary to do so. It was an executive enquiry conducted by Government.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Do the Government not consider it necessary, at least in the interests of public confidence, that the results and the reports of the executive enquiry committee instituted by Government in connection with incidents of firing should be brought to the notice of the public.

श्री टीकाराम पालीवाल:—The Government was satisfied with the result of the enquiry.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—That does not satisfy us.

श्री उपाध्यक्ष:—I want to know how much time more you would take ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—I have to take half an hour at the most.

श्री उपाध्यक्ष:—Try to finish it earlier

श्री टीकाराम पालीवाल:—I shall try so.

श्री एच० के० व्यास:—On a point of information Sir. Shall the business of the House be extended for some time today so that I could give my reply.

श्री टीकाराम पालीवाल:—Provided he finishes within 10 minutes.

श्री उपाध्यक्ष:—Does he agree ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—इस प्रकार से असल में इसके पीछे रहस्य कुछ जरूर मालूम होता है। मुझे मालूम नहीं कि मैं जो समझता हूं वही रहस्य मेरे मित्र जाहिर कर रहे थे या कुछ और।

ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अधिकारियों ने जो उचित समझा वह किया। इसके बाद Executive enquiry से भी यही साबित हुआ कि जो कुछ किया गया उचित किया गया और ऐसी सूरत में गवर्नमेंट इस बारे में कोई Judicial enquiry की आवश्यकता नहीं समझती।

नियम के अनुसार ऐसे मामले में Executive enquiry होती है और उसके बाद फाइल से यदि यह मालूम हो कि Judicial enquiry होना आवश्यक है तो उसी समय Judicial enquiry होती है; पर वह Executive enquiry के आधार पर होती है न कि और बातों क आधार पर।

यदि हम इस तरह करने लगे तो हर firing के लिये Judicial enquiry होगी तो इसका मतलब यह होगा कि Authorities मजबूत निर्णय देने का साहस नहीं करेंगी। अगर यह वृत्ति आगई तो आज जो बहुत बढ़-बढ़ कर नागरिक स्वतन्त्रता का दावा कर रहे हैं वे बाद में यही कहेंगे कि स्थानीय अधिकारियों ने मजबूत कदम नहीं उठाया; इसलिए यह केस हो गया, इतना बड़े नुकसान हो गया। फिर आप जिस चीज को आज कह रहे हैं उसी के खिलाफ कहेंगे; जिसक दुष्परिणाम की आप कल्पना तक नहीं कर सकते।

कम्युनिस्ट इस प्रकार की बातें पेश करें तो मैं समझता हूं कि वे कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इनका खास निश्चित कार्य-क्रम बना

22 October 1952

हुआ है कि जब तक वह सत्ता में नहीं आ जाय तब तक अव्यवस्था और अनार्की (anarchy) पैदा करते रहें; यह कम्यूनिस्ट टेकटिक्स है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—आप, यह भी सुनी सुनाई बात तो नहीं कह रहे हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र इस सदन में बैठ कर भी ऐसे टेक्टिक्स अपना रहे हों। फिर भी कह देता हूं कि मेरे मित्र ने जयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत से विद्यार्थी मारे गये कभी कहते हैं हजारों जख्मी हो गये।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think he had corrected.

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में बैठकर......

श्री एच० के० व्यास:—I wish......... ....

श्री टीकाराम पालीवाल:—This will increase, unless you listen to me.

श्री एच० के० व्यास:—....and it is irrelevant.

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं यह निवेदन करता था कि मुझे ज्यादा शिकायत प्रस्तावक महोदय से नहीं है, जो कुछ उन्होंने कहा वह पब्लिक के नेता की हैसियत से कहा है और जो कुछ उन्होंने यहां पर कहा उससे भी ज्यादा की मैं उनसे आशा करता था; लेकिन मेरे विरोधी दल के नेता हर एक चीज की आलोचना करते हैं; वह तो नहीं की जानी चाहिये थी। मगर हम यह देखते आ रहे हैं कि हर चीज की आलोचना की जाती है। जोधपुर की घटना को लेकर बहुत लंबा चौड़ा विवाद किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता यहां पर नहीं थी। सवाल यह था कि नर्सों का ऐसा करना अनुचित था या नहीं। मगर उसको बड़ी चतुराई से रखा गया है। इसका उत्तर....

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—चतुराई की बात को लेकर

श्री टीकाराम पालीवाल:—गवर्नमेंट जितना उनको देना उचित समझती थी, दे चुकी है और यह कहना कि खास तौर से वे वायदे जो चुनावों के समय किये गये, जिन्हें चुनावों के वायदे कहा जाता है, मैं यह कहूंगा कि वे वायदे चुनाव के वायदे कभी नहीं हो सकते।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल:–(हंसते हुए) डोन्ट लॉफ (हंसिये नहीं)। चुनाव के वायदे जिन्हें कहा जाता है, वह ऐसी चीज है नहीं। वे वायदे एडमिनिस्ट्रेटिव वायदे थे और उस समय के मंत्री महोदय ने मुझसे कहा कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया और न ऐसे वायदे किये गये। मैंने मंत्री महोदय से बात कर ली। यह अवश्य कहा गया था कि विचार किया जावेगा और विचार किया गया। उस सरकार ने नहीं दूसरी सरकार न उस पर विचार किया और उनकी मांगों में से कुछ मांगे मानी गई। मगर इतना होते हुए भी हमारे यहां की एसेन्शियल सर्विसेज में नर्सेज और कंपाउन्डर्स भी हैं, उनको कुछ राजनैतिक तत्वों ने बहकाया और व बहकावे में आकर दूसरे वातावरण को भी क्षुब्ध करते और जो उनकी मांगें थी, वे रिजनेबल नहीं कही जा सकतीं। मैं यह मानता हूं कि उस समय सरकार ने जो रवैया अख्त्यार किया वह ठीक था और यदि ऐसा नहीं करती तो अवश्य कई जगह इस प्रकार का खतरा पैदा होने वाला था। मैं यह कहूंगा कि इस सारी योजना में भी एक कोम्युनिस्ट एक्टीविटीज का प्रश्न था। नर्सेज कम्पाउन्डर की हड़ताल में उनके साथ · · ·

श्री एच० के० व्यास:-Can you give reasons ?

श्री टीकाराम पालीवाल–तो मैं यह कह रहा था कि—I received secret information.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या आप उसे सदन की मेज पर रख सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल–No. जो हड़ताल चल रही थी अगर उसको खत्म नहीं करती तो कई जगह गड़बड़ें हो जातीं। जो कम्युनिस्टों की कार्यवाही चल रही थी उसको गवर्नमेंट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे सरकार को चैक करने का फर्ज था और सरकार ने उसे चैक किया। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई भी चीज वर्तमान सरकार के सामने आने से कोई भी फायदा नहीं होगा। यदि इस प्रकार की चीज सरकार के सामने आएगी तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगा कि जो चीजें हुई हैं और जोधपुर में जो घटना फायरिंग की हुई है it had its desired effect of dispersing the unruly mob और जो सरकार के लिये करना जरूरी था वह किया गया और अगर नहीं किया जाता तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होता। अतः it was absolutely necessary to use that much of force and resort to firing. यह कहा जाता है कि दुकानों में जाकर पकड़ कर तंग किया गया। इसका कोई प्रमाण नहीं है; इसके लिये जांच की गई। यह तो केवल लोगों के कहने की बातें हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही की गई। इस प्रस्ताव में कई घटनाओं के बारे में कहा गया है। मैं तो यह कहता हूं कि that action taken was proper and just and necessary and no judicial enquiry is called for. The Government is not prepared to

accept this resolution; Government oppose this resolution और मैं हाउस से आशा करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें। प्रसंगवश एक घटना की चर्चा की, विरोधी दल के नेता ने जो जयपुर में हुई और हजारों की संख्या में ....

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--I again repeat that he had corrected it.

श्री टीकाराम पालीवाल:–यदि वे इसकी चर्चा नहीं करते तो अच्छा था क्योंकि विरोधी दल के दूसरे लोग भी यही चाहते थे।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--There is one point, Sir, which has escaped the notice of the Leader of the House and which I want to bring to his notice. A very serious allegation was made by Mr. Vyas that there was a Lathi charge in Jodhpur without any warning. I think this was such a matter as would merit definite information from the Leader of the House and I would still call upon him to clarify this point as to what information he has with him on this point. I would request him to put that information before the House.

श्री टीकाराम पालीवाल:--I have no definite information with me, but I will get the exact position examined and place it before the House. This will only require a reference to the findings of the enquiry.

अभी तक मेरे पास जो जानकारी हासिल हुई है उसमें कहीं भी कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है और जहां कहीं कोई घटना हुई है वह कानून के अनुसार वार्निंग देकर ही हुई है।

श्री अवनीकुमार:--The resolution should not be disposed of till that information is available.

श्री टीकाराम पालीवाल:--I say it will be placed on the Table of the House.

श्री उपाध्यक्ष:–श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–श्री उपाध्यक्ष मैं ट्रेजरी बेंचेज के कांग्रेसी पार्टी के कुछ मित्रों को सुन रहा था और जब यह सुन रहा था कि किस सुन्दर तरीके से, किस शान के साथ सरकार ने इन समस्याओं को हल किया तो मैं सोच रहा था कि क्या मालूम राजस्थान के जिम्मेदार लोग इस सदन में बैठे हैं और यह बता रहे हैं कि किसी भी आदमी की जान जान में उनको शान मालूम होती है। जिसमें लोगों के सिर फटें और उसमें उनको शान मालूम होती है! मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हमें

एसा मजबूरी मे करना पड़ा, अफशोस के साथ करना पड़ा; लेकिन शायद वे अपने रोज रोज तारीफ करने वाले सदस्यों को आदेश नहीं दे पाये और तारीफ करने के जोश में उन्होंने लोगों की जान जाने में भी अपनी शान समझी। मैं इस संबन्ध में कम से कम यह कहूंगा और कहने के लिये तैयार हूं कि मुबारिक हो आपको ऐसी शान, मैं तो कम से कम ऐसा कालिख का टीका लगवाने के लिये तय्यार नहीं। मेरे एक मित्र और हमारे चीफ मिनिस्टर को कुछ सुनी सुनाई बातों पर लगातार अंदेशा होता है कि हर चीज के पीछे उनको कम्युनिस्ट टेकनीक मालूम होती है। क्या ही अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह भी कह जाते कि ६० हजार रुपये लगाकर यह जो लाउड स्पीकर का सिस्टम मुकर्रर किया गया था वह भी इसलिय खराब हुआ कि एक कम्युनिस्ट सदस्य इस हाउस के अन्दर आगया। यदि वे यह कहते तो शायद आज क भाषणों में इसके मुकाबले में और कोई चीज ज्यादा नहीं होती। किशनगढ में कम्युनिज्म का, जोधपुर में कम्युनिज्म का डर था और जगह जगह कम्युनिस्टों का इन्फ्लुएन्स है; कम्युनिज्म के बारे में उनका जो ज्ञान है वह ज्ञान सरकार के अधिकारियों का या सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर है या सुनी सुनाई बातों के आधार पर है। इसलिए यदि वह चाहें तो म उनको अधिकृत साहित्य देकर उनके ज्ञान को सुनी सुनाई बातों से बचाऊं। क्या वह अधिकृत बातों के आधार पर यह कहने को तैयार हैं जैसा कि व कहते हैं कि कम्युनिज्म का टेकनीक क्या है, वह बलवा करना चाहते हैं, हिंसा कर गड़बड़ करना चाहते हैं। ऐसी बातें लगातार कहने से कोई यह टकनीक नहीं होता है और न कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी आलोचना कर वे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों के बारे में गलतफहमी फैला सकते हैं। मैं जिम्मेवारी क साथ चलन्ज देकर कहना चाहता हूं कि सुनी सुनाई बातों को छोड़कर व एक भी अखबार में लेख से या एक भी भाषण से ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात बतायें। म आपको यह बताने के लिए तैयार हूं कि आपन जानबूझ कर इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की है। मैं जिक्र करूंगा कि उन बातों का जिनके बार में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया ह। मैंन यह नहीं कहा ह कि लोगों ने पत्थर नहीं फेंके। मेरा यह कहना था कि परिस्थिति को सम्हालन के लिए पहले से ही खयाल करक चेतावनी क दूसर तरीकों से जो आज तक होते आये हैं उनको किया जाना चाहिय था। अगर ऐसा करते तो पुलिस वालों द्वारा परिस्थिति को बिगाड़न का काय नहीं किया जाता। अगर इसमें भी मुख्य मंत्रीजी को तथ्य नहीं मालूम होता है तो वे अपनी जानें। इसमें जिस जगह खुद कम्युनिस्ट पार्टी कोई खास असर नहीं मानती ह वहां उनको उसमें भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी का असर नजर आगया हो तो साफ बात यह है कि असलियत को छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और कैसी सुनी सुनाई बातें, कैसी जिम्मेदारी की बातें यहां कही गई ह उनको एक मिसाल में आपक सामने रखता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नर्सों और कम्पाउन्डरों को कोई वायदा नहीं किया गया था। यह

भी उन्होंने पता कैसे लगाया; सुने सुनाये तरीके से या संबंधित मंत्री से पूछ लिया ? मैं आपके सामने वह पत्र पेश करना चाहता हूं और हाउस की टेबल के सामने पेश करना चाहता हूं और उस पत्र के कुछ हिस्से में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के मेडिकल डाईरेक्टर ने २५ जून सन् १९५१, को यह पत्र लिखा है। इसमें उस जमाने के डाइरेक्टर की तरफ से एक सज्जन ने, टिपनिस साहब ने यह लिखा

"It is only for new candidates that the basic qualification will have to be insisted upon"

इस पत्र का जिक्र करते हुए उस समय के मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया है एक पत्र में जो सेक्रेटरी, एक्शन कमेटी नर्सेज एन्ड कम्पाउन्डर्स एसोसियेशन महात्मा गांधी हास्पिटल, जोधपुर को २५ तारीख दिसम्बर १९५१ को उनके पत्र के जवाब में दिया है और जिस पर दस्तखत किये हैं, श्री जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर ने। उसमें लिखा गया है कि "I don't feel that the qualification of Matriculation has altogether been waived on the basis of that letter. I am afraid the letter is liable to wrong interpretation and some difficulty may arise in the Finance and Accountant General's Office. I would suggest the Hon'ble Health Minister that he should try to get this condition clearly waived. अर्थात मुख्य मंत्रीजी फरमाते हैं कि "कन्डीशन शुड बी ववड" लेकिन जिस पत्र के आधार पर आप कहते हैं वह साफ नहीं है इसलिये साफ तौर पर वेव (waive) करने का आदेश देना चाहिये। अगर साफ तौर पर वेव करने का आदेश दिया है, उसके बाद भी वतमान मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मेरी राय में कोई आश्वासन नहीं दिया। हल्थ मंत्रीजी ने उन्हें यह लिखा you have already......the Chief Minister has already indicated his views" यानी उन्होंने मुख्य मंत्रीजी की राय का हवाला दिया है।

श्री टीकाराम पालीवाल:–हवाला देने के बाद क्या लिखा है, पढ़िये।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—सेक्रेटरी, एक्शन कमेटी, नर्सेज एन्ड कम्पाउन्डर्स एसोसियशन, महात्मा गांधी हास्पिटल, जोधपुर के नाम पत्र है जो कि उनको दिया गया है और जिसके ऊपर दस्तखत है श्री मथुरादास माथुर, मिनिस्टर फोर एजुकशन एन्ड हेल्थ····

टीकाराम पालीवाल:–पढ़िये।

श्री हरिकृष्ण व्यास:--·········The Question of Matriculation is under the consideration of the Government......The Hon'ble Chief Minister has already indicated his views in the matter.

अगर आप यह चिटठी टेबल के सामने रखें और इसमें अगर एक शब्द भी इधर उधर का हो, सरकार के पास भी सभी कापियां होंगी, तो इसको प्रिविलेज का क्वश्चन बनाकर मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल:–It will receive our consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास–आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर राय बना लेते हैं और उसके बाद जब हकीकत सामने रखी जाती है तब कन्सीडर करने का कहते हैं। अच्छी बात है कि कम से कम मुख्य मंत्रीजी ने पुरानी प्रथा को बदला है और एक कम्युनिस्ट के मुंह से जो बात निकली उस पर विचार करना कबूल किया; लेकिन मेरा यही कहना है कि बहुत देरी से उन्होंने कबूल किया और आज भी मैं कहता हूं कि आप अपने दिल में चाहें जो समझते हों, समझें; चाहे हर चीज में कम्युनिस्ट बवन्डर आपको लगता हो, आप समझें; लेकिन हकीकत यह है कि जब लोगों में असंतोष नहीं होगा जब, आप उनके साथ वाजिब व्यवहार करेंगे तो क्या कभी कोई मान सकते हैं कि किसी के कहने में आकर, कोई जान बूझकर गडबड फैलाने वाले लोगों की योजना में आकर उन्होंने यह कार्य किया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सेक्रेट्रियेट में असंतोष क्यों है? आर० ए० एस० के मुलाजिमों में असंतोष क्यों है? मैं आपसे पूछता हूं कि सेक्रेटरीज में असंतोष क्यों है जब कि वे कम्युनिस्टों के नजदीक भी आने में घबराते हैं; लेकिन असंतोष है आपकी नीति के ऊपर। गलत चीज को आप कम्युनिज्म का नाम लेकर छुपाने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। हकीकत और असलियत तो यह है कि हम जिस चीज को गैर वाजिब समझते हैं तो सरकार जो जवाब देती है तो उसको यह कहकर जवाब देना चाहिये कि वह गैरवाजिब है या नहीं।

क्या वजह है कि परिस्थिति सरकार के काबू के बाहर हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जवाब पूछिये। कहा गया है कि सरकारी जांच की गई है! कैसी एन्क्वायरी की गई यह भी मैं जानता हूं! कोई नोटिस उसका शाया नहीं किया गया। हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया है। इस एन्क्वायरी के अन्दर क्या हुआ माननीय सदस्यों को मैं बता दूं? माननीय मुख्य मंत्रीजी तो जानते ही होंगे। एन्क्वायरी में प्रश्न पूछा गया कि जोधपुर में गोलीकांड हुआ या नहीं मैं यह जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एन्क्वायरी करने वाले अफसर····

(उपाध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

आपने मुझे १५ मिनिट मेरे खयाल से दिये हैं, कम से कम उन्हें तो पूरा करलूं।

श्री उपाध्यक्ष:–क्या हाउस की इच्छा है?

(चारों ओर से स्वीकृति सूचक 'हां' की आवाजें आईं)

श्री हरिकृष्ण व्यास:–मैं २–४ मिनिट में खतम कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष:–मैं आपको ५ मिनिट देता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यासः—मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो सरकारी अफसर जांच करने के लिए गये उन्होंने उन मजिस्ट्रेट से और वहां के जिलाधीश से तथा दूसरे लोगों से प्रश्न पूछा और यह प्रश्न पूछा कि जब फायरिंग हुआ तो why there was no loss of life (जाने क्यों नहीं गई) ? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप देखेंगे, एन्क्वायरी की पूरी रिपोर्ट कि यह प्रश्न किया जाता है कि जब गोली चली तो लोग क्यों नहीं मरे। प्रश्न होना चाहिए था अधिकारों के दुरुपयोग का; लेकिन पूछा गया कि लोग क्यों नहीं मरे। मैं यह साफ कहता हूं कि चाहे कम्युनिस्ट का नाम आप लें, आप किसी भी आदमी को किसी भी दृष्टिकोण से जज करें; परन्तु सच को मत छोड़िये। मैं यह सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और यह आंखों से देखी बात है। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता कि आप उसे सच मानलें। आपका जिलाधीश चाहे कुछ भी कहदें, लेकिन दुनिया इस बात को मानेगी और जानेगी कि उनके कहने की वजह से वह बात ठीक नहीं हो सकेगी। आप मेरी सच्चाई को मानें या नहीं मानें। आप सदन के सदस्य से जुडिशियल जांच करवा लीजिये। मामूली अफसर को ज्यादा कीमत देना चाहें, तो कीमत दें, लेकिन आप एन्क्वायरी के लिए यह सवाल पैदा करते हैं कि अगर ऐसी एन्क्वायरी जज द्वारा कराई गई तो हमारे अफसरों का मोरल टूट जायगा, वे डरने लगेंगे। वे क्यों डरने लग जायेंगे? अगर उन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया है, अगर उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया, अगर उन्होंने अनावश्यक कार्यवाही नहीं की तो उनको डरने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के जजेज उनके खिलाफ फैसला क्यों देंगे? यदि उन्होंने अन्याय का काम किया और अपने अधिकारों का गैर जिम्मेवारी से प्रयोग किया तो मेरा कहना है कि यदि इस प्रकार जांच करवायी जायगी तो हुकुमत चलाने वाले अधिकारी आयन्दा सोचेंगे और आयन्दा वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों का मोरल गिरेगा—यह जो बातें कही जाती हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने से उनके मोरल पर कोई असर नहीं आयेगा। वे आयन्दा सचेत रहेंगे। इस प्रकार के कदम उठाने से पहले उन्हें यह देखना पड़ेगा कि उनका इसमें क्या रुख होना चाहिये।

कल और परसों बहस हो रही थी उसमें अपने आपको प्रगतिशील बताने वाले सदस्य, जिन्होंने सदन में प्रगतिशीलता का ढिंढोरा पीटा है, उनसे खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दें और अपनी राय इस प्रस्ताव के समर्थन में दें ताकि दुनियां को यह मालूम न हो कि कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें दूसरी। इन शब्दों के साथ में खास तौर से उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपने को प्रगतिशील बताते हैं अगर उनके कहने में कुछ तथ्य है, अगर उनमें कुछ ईमानदारी है, कुछ नैतिकता है तो वे इस प्रस्ताव का समर्थन कर उसका परिचय दें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख पेश करता हूं।

Page No.68

श्री उपाध्यक्ष:-Motion moved. The question before the House is:-

"This House is of the opinion that steps be taken by Rajasthan Government to institute an open Judicial inquiry by a Judge of the High Court into the firing at Jodhpur and Kishangarh on 2nd July, 1952 and 2nd September, 1952 respectively and punish the persons responsible for these acts."

श्री उपाध्यक्ष:—प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री एच. के. व्यास— I claim Division Sir,

श्री उपाध्यक्ष:—जो सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में राय देना चाहते हों वे खड़े होकर अपनी राय दें।

(प्रस्ताव के समर्थन में ४७ मत आये)

जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत देना चाहते हों वे खड़े होकर अपनी राय दें।

(प्रस्ताव के विपक्ष में ७५ मत आये)

श्री उपाध्यक्ष:—"ना" पक्ष जीता। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सदन की बैठक कल ८-३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक आज १२-४५ पर, कल बृहस्पतिवार, तारीख २३ अक्टूबर, १९५२ के ८-३० बजे तक के लिय स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित,
सचिव
राजस्थान विधान सभा
जयपुर।

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२२ अक्टूबर, १९५२

परिशिष्ट १

(कृपया पृष्ठ ३४१ देखिये)

(प्रश्न--कर्ता की अनुपस्थिति में निम्नलिखित तारांकित प्रश्न तथा उत्तर सदन की मेज पर रखे गये।)

प्रश्न संख्या ६४

श्री धर्मपाल:--क्या माननीय राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नहरी इलाका, गंगानगर में तहसीलवार भूमि क मालिकों व काश्तकारों से कितनी पटवार वसूल होती है? (ख) उसमें से पटवारियों को वेतन के रूप में कितनी देदी जाती है? (ग) यदि वह रकम पटवारियों के वेतन से ज्यादा है तो क्या सरकार उस रकम को, जिनसे वसूल की गई उनको वापिस कर देगी अथवा उस इलाके के पटवारियों को दे देगी? (घ) अगर देगी तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(क) गंगानगर जिले के नहरी इलाके में पटवार से १ आना फी रुपया या सवा छः परसेन्ट मालगुजारी पर वसूल होता है।

(ख) अब राजस्थान सरकार की आज्ञानुसार इस सेस (cess) का अलहदा हिसाब नहीं रखा जाता है।

(ग) बल्कि इसे सरकार का एक सीगा समझा जाता है और पटवारियों को अब इस रकम से वेतन अदा नहीं किया जाता।

(घ) इसलिये इस रकम में बचत का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६५

श्री धर्मपाल:--क्या माननीय अर्थ मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में जिलावार कितनी आमदनी है और जिलावार शिक्षा, सड़कों व अस्पतालों पर कितना खर्च होता है?

उत्तर

In an integrated State it is not possible to work out income and expenditure on a district basis. There are very important items of Revenue like Customs which are not related to districts. So also it is not possible to relate all expenditure to particular districts. Any attempts to allocate the total income and expenditure of the State to districts with reference to the district in which income is collected or amounts are spent would give a very unreal picture.

प्रश्न संख्या ६६

(१०४/एस) श्री **धर्मपाल**:—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों में हरिजनों को १२॥ परसेन्ट दिये गये कोटे में से अब तक कितने हरिजन किन किन डिवीजनों में नौकर रखे गये हैं।

उत्तर

सरकार ने राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, के सदस्यों के लिये सेवाओं में १२॥ प्रतिशत के आरक्षण के हेतु व्यवस्था की है। राज्य सेवा में विद्यमान ऐसे व्यक्तियों के डिवीजनों के अनुसार अंक प्राप्त किये जा रहे हैं।

———